सत्यमेव जयते

सेवा पखवाड़ा

के अन्तर्गत

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025

दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से प्रारम्भ

स्थान : ग्राम पंचायत मुख्यालय

निर्देशिका

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मुख्य मंत्री
राजस्थान

संदेश

प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिएनिरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए प्रदेश में सेवा पर्व पखवाड़ा प्रारंभ किया जारहा है। इसके तहत 17 सितंबर से हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं,जिनमें ग्रामीणों को प्रशासन से जुड़े अपने काम कराने की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी।

इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के बीच लाकर रजिस्ट्री,पट्टे, गिरदावरी, कुर्रेजात, विभाजन, नामांतरण, मूलनिवास एवं जाति प्रमाण पत्र समेत 48 से अधिकप्रकार के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्रलोगों को जोड़कर उन्हें लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह आयोजन हर वर्ग और हर व्यक्ति को छूने वाला है,जिसमें किसान, मजदूर, महिला, युवा समेत हर वर्ग के कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।

मैं प्रदेश के सभी ग्रामीण भाई-बहनों से आह्वान करता हूं कि वे इन सेवा शिविरों में अवश्य हिस्सालें। अपने काम पूरे कराएं,योजनाओं से जुड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें। मैं विशेष रूप से पंचायतीराज संस्थाओं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूं कि वे इस अभियान में अपनी सक्रियभागीदारी निभाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। मुझे विश्वास है कि यह पर्वजनसेवा का एक उत्कृष्ट माध्यम बनेगा।

मैं कामना करता हूं कि यह आयोजन प्रदेश में जनसेवा के नए प्रतिमान स्थापित करेगा।

(भजन लाल शर्मा)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

हेमन्त मीणा,
मंत्री राजस्व, उपनिवेशन विभाग,
राजस्थान सरकार

संदेश

राज्य सरकार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु सदैव प्रयत्नशील है। इसी उद्देश्य से राज्य में दिनांक 17 सितम्बर 2025 से **सेवा पर्व पखवाड़ा** प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर **ग्रामीण सेवा शिविर** आयोजित किये जाने है। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि उक्त निर्देश पुस्तिका ग्रामीण जन के कार्य निष्पादन प्रक्रिया हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बहुत सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होगी।

इस पखवाड़े के दौरान राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें राजस्व विभाग के साथ अन्य 15 विभागों की सह-भागीदारी से आमजन से जुड़े कार्यो का मौके पर निष्पादन किया जाकर राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं आमजन की अनेक समस्याओं का निराकरण होगा।

शिविरों में राजस्व विभाग संबंधी कार्य जैसे लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाना एवं किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित करना, उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों के लम्बित नोटिसों की तामिल करवाना, लम्बित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना, अपना खाता पोर्टल पर आपसी सहमति से विभाजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के प्रकरणों का निस्तारण एवं आदि प्रकरणों का भी निस्तारण किया जावेगा।

मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित इन शिविरों में सभी विभाग मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान एवं राजकीय लोक कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने हेतु प्रयासरत रहेगें। ग्रामीण सेवा शिविर से जुड़े सभी अधिकारी / कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन मानवीय संवेदना, समर्पण तथा लगन के साथ कर भागीदारी सुनिश्चित करेगे।

(हेमन्त मीणा)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सुधांश पंत,
मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

संदेश

राज्य सरकार ने कृषकों एवं ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने तथा जनोपयोगी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु **सेवा पर्व पखवाड़ा** प्रारंभ किया जा रहा है, इसके अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से प्रत्येक ग्राम मुख्यालय पर **ग्रामीण सेवा शिविर** लगाये जायेगे। इन शिविरों को सफल बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर सक्रिय सहयोग करेंगे।

ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों से जुड़े राजस्व विभाग के कार्यों के साथ-साथ 15 विभागों को भी शामिल किया गया है जो उनके विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचायेंगे। इसके साथ ही आम जनता की विभिन्न विभागों से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। शिविरों में किसी भी नागरिक को समय-सीमा में बाँधा न जाए। जब तक लोग उपस्थित रहें, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविरों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग हो और बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पहचान कर प्रोत्साहित करेंगे। संभागीय आयुक्त संभागवार रैंकिंग करेंगे कि कौनसे जिले में सर्वाधिक निस्तारण हो रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर स्वयं कैंपों का निरीक्षण करें, फीडबैक लें और सक्सेस स्टोरीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कर उन्हें सोशल मीडिया एवं पारंपरिक मीडिया में साझा करें।

शिविरों के दौरान राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की गतिविधि लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाना एवं किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित कर आमजन को जानकारी दी जावेगी। सामाजिक न्याय विभाग पेंशन, पालनहार एवं कन्यादान योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, श्रम विभाग औजार सहायता योजना तथा आपदा प्रबंधन विभाग जनहानि/पशुहानि निस्तारण से संबंधित कार्य करेगा। जल संसाधन विभाग जलभराव निकासी एवं बांधों की मरम्मत करेगा। पंचायती राज विभाग स्वामित्व योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जुड़े कार्य करेगा, जबकि वन विभाग वृक्षारोपण करेगा।

शिविरों की सफल एवं पारदर्शी क्रियान्विति हेतु प्रभारी अधिकारी ही नहीं अपितु जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा शिविरों के अवलोकन की भी व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि अभियान के सफल एवं समुचित क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर अभियान के सहभागी विभागों को रचनात्मक नेतृत्व प्रदान करते हुए ग्रामीण जन सामान्य को अधिकाधिक लाभ पहुंचायेगें एवं समस्त विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिये पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। मैं ग्रामीण सेवा शिविर में समस्त विभागों एवं स्थानीय समुदायों के सहृदय सहयोग की अपेक्षा करते हुए इसकी अप्रतिम सफलता हेतु शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।

सुधांश पंत

(सुधांश पंत)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

दिनेश कुमार,
प्रमुख शासन सचिव
राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग
राजस्थान सरकार

संदेश

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर लगाये जाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण करना गुड गवर्नेस की दिशा में राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। प्रदेश में सेवा पर्व पखवाड़े के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किये जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में राजस्व विभाग के अतिरिक्त 15 अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों को भी शामिल किया है, समस्त विभागों के समन्वित प्रयासों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान की कार्यवाही करेंगे।

प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में 16 विभागों से संबंधित लगभग 48 कार्यों का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये, जिससे अधिकतम लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अभियान के दौरान राजस्व प्रकरणों के निस्तारण सहित कृषि, महिला बाल विकास, बिजली-पानी जैसे प्रकरणों का निस्तारण एक ही स्थान पर किया जाएगा, जिससे आमजन को लाभ मिल सकेगा।

इस अभियान से जुड़े सभी विभागों के लोक-सेवक राज्य सरकार की मंशा **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास** अनुरुप पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सेवा पखवाड़े को सफल बनाने में योगदान करेंगे। मुझे आशा है कि विभाग द्वारा प्रकाशित निर्देशिका अभियान के सफल संचालन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित होगी। मेरी ओर से निर्देशिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं।

(दिनेश कुमार)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

सेवा पखवाड़ा
अन्तर्गत
ग्रामीण सेवा शिविर - 2025

अनुक्रमाणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत शिविर संचालन हेतु प्रमुख शासन सचिव, राजस्व द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.09.2025	1
2	राजस्व विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 09.09.2025	2
3	राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 03.09.2025	3-5
4	राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र दिनांक 07.09.2025	6-7
5	ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग के कार्य एवं गतिविधियां	8
6	ग्रामीण सेवा शिविर में शामिल विभागों के कार्य एवं गतिविधियां	9-10
7	सहभागी विभागों द्वारा अधीनस्थ जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रदत्त दिशा-निर्देश	11-43
8	राजस्व एवं सहभागी विभाग द्वारा सूचना संकलन हेतु निर्धारित प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र	44-65
9	राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों की सूची	66-67
10	सफलता की कहानी PDUASP	68-69

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प0 19(7)राज-5/सम/2025 **जयपुर, दिनांकः 13.09.2025**

-: दिशा निर्देश :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय-''सेवा पर्व पखवाडे'' के अन्तर्गत आयोजित ''ग्रामीण सेवा शिविर'' के संबंध में।

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2025 को आयोजित बैठक में ग्रामीण सेवा शिविर के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुए है :-

1. भारत सरकार द्वारा 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक ''**सेवा पर्व पखवाडे**'' का आयोजन किया जा रहा है। अतः इस पखवाडे के अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का नामकरण निम्नानुसार किया जाता है-:

सेवा पर्व पखवाड़ा
के अन्तर्गत
ग्रामीण सेवा शिविर

2. शिविर का समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक रहेगा। यदि सायं 6:00 बजे तक भी कार्य अपूर्ण/ लंबित रहते है तो कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही शिविर का समापन किया जावें। शिविर प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर के शुरू होने से समाप्ति तक सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शिविर में उपस्थित रहकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुचायां जावें।
3. शिविर में लगाये जाने वाले बैकड्राप एवं बैनर निर्धारित प्रारूप में हो जिसमें सेवा पर्व पखवाडा का उल्लेख किया जावें, साथ ही शिविर में लगाये जाने वाले सभी विभागों के काउन्टर पर विभाग का नाम, विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो/ योजनाओं का विवरण हो एवं प्रचार-प्रसार सामग्रीयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
4. राज्य स्तर पर विभागवार एवं जिला स्तर पर प्रगति, पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जावें। प्रतिदिन शिविर समाप्ति पर पोर्टल पर रिर्पोटिंग की जावें।
5. शिविर स्थल पर आमजन की सुविधा हेतु कार्यो की निर्धारित दर/शुल्क पर सेवा उपलब्ध करवाये जाने हेतु ई-मित्र कियोस्क की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अभियान के दौरान शिविरों का अधिक से अधिक निरीक्षण किया जावे। शिविरों में उपखण्ड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवायी जावे।
7. शिविर हेतु निर्धारित दिनों (गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार) में राजपत्रित / ऐच्छिक अवकाश होने पर एवं रविवार को शिविरों का आयोजन नही किया जावें।

उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

sd /
(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प0 19(7)राज–5/सम/2025 जयपुर, दिनांक : 09.09.2025

–: संशोधित दिशा निर्देश :–

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय–''ग्रामीण सेवा शिविर'' 17 सितम्बर, 2025 से आयोजित किये जाने बाबत।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 03.09.2025 की निरन्तरता में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्तन किये जा रहे है :–

1. राज्यभर में पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2025 से आयोजित **''गांव चलो अभियान''** का नाम अब **''ग्रामीण सेवा शिविर''** किया जाता है।
2. उक्त अभियान अब दिनांक 17 सितम्बर से प्रारम्भ किया जाना है। **अभियान के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले शिविर बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार (दिनांक 17,18,19 एवं 20 सितम्बर 2025) को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने है।** शेष अभियान के शिविर यथावत सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है। अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जावे।
3. **ग्रामीण सेवा शिविर** में कुछ अतिरिक्त कार्यों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। **ग्रामीण सेवा शिविर** के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों में किये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न है। उक्त संलग्न कार्यों के अनुसार संबंधित विभाग अपने विभाग का विभागीय आदेश, नोडल अधिकारी एवं सूचनाओं के संकलन हेतु प्रपत्र आज ही इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त संबंधित विभागों द्वारा सम्मिलित किये गये कार्यों के अनुसार शिविरों के कार्यक्रम तैयार किये जावे।
4. दिनांक 02 अक्टुबर 2025 से आयोजित होने वाले सहकार सदस्यता अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविरों का आयोजन ग्रामीण सेवा शिविर के साथ ही किया जावे। इस हेतु शिविर कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार से किया जावे कि सहकार सदस्यता अभियान हेतु शिविर का स्थल अलग से न होकर ग्रामीण सेवा शिविर के शिविर में ही हो।

sd

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प0 19(7)राज–5/सम/2025 जयपुर, दिनांकः 03.09.2025

–: दिशा निर्देश :–

विषय– ''गांव चलो अभियान'' 18 सितम्बर, 2025 से आयोजित किये जाने बाबत।

राज्यभर में **दिनांक 18 सितम्बर 2025 से** सेवा पर्व पखवाडा के अन्तर्गत **''गांव चलो अभियान''** का आयोजन किया जाना है। इस अभियान के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। **अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हो जावें।** जिला स्तर पर अभियान की तैयारी, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलक्टर की होगी।

अभियान के दौरान सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है। एक तिथि हेतु शिविर की पंचायतों का निर्धारण इस प्रकार से किया जावे कि एक पंचायत समिति क्षेत्र की दोनों पंचायतें नजदीक स्थित हो ताकि पर्यवेक्षण में सुविधा रहे। प्रत्येक शिविर हेतु जिला कलक्टर द्वारा शिविर प्रभारी एवं सहायक शिविर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

यह प्रयास होना चाहिये कि जो भी व्यक्ति काम के लिये शिविर में आये, उसका काम उसी दिन पूर्ण किया जावे। **शिविर का समय प्रातः 09.30 बजे से सांय 06:00 बजे तक रहेगा, यदि सायः 06:00 बजे तक कुछ कार्य अपूर्ण/लंबित रहते है तो कार्य के निस्तारण तक शिविर के समस्त कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सम्पूर्ण कार्य समाप्त होने के पश्चात ही शिविर का समापन किया जाएगा, शिविर प्रभारी इसकी सुनिश्चिता करेगा।** अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविर के शुरू होने से शिविर की समाप्ति तक अभियान से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर में उपस्थित रहेंगे। इस अभियान के दौरान निष्पादित कार्यों पर **''गांव चलो अभियान''** की मुहर अंकित की जावे।

1. **शिविर स्थल** – पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जावें तथा आगन्तुकों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे। शिविर में मेज, कुर्सियों, दरियों, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। व्यवस्था के समन्वय का कार्य विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। **इन शिविरों के आयोजन हेतु आवश्यक बजट पंचायती राज विभाग द्वारा, वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर जारी किया जायेगा।**

2. **शिविरों की पूर्व तैयारी** – ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले शिविरों की पूर्व तैयारी की जावेगी। आयोजित होने वाले शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के लिए अग्रिम दल गठित करते हुए ऐसे कार्यों जिनमें प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें पूरी करनी होती है या तथ्यपरक

सूचनायें अपेक्षित हो, की प्रारम्भिक कार्यवाही शिविर से पूर्व ही कर ली जावे ताकि शिविर के दिन प्रकरण प्रस्तुत कर आदेश लिये जा कर अन्तिम निस्तारण हो सके। विभिन्न प्रकार के प्रार्थना–पत्रों की तैयारी अभियान से पूर्व ही संबंधित विभाग कर लेवें ताकि शिविरों में अनावश्यक रूप से समय व्यय नही हो।

शिविर आयोजन करने से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की दिनांक 10.09.2025 तक बैठक आयोजित कर शिविर कार्ययोजना/ कार्यक्रम तैयार करके दिनांक 12.09.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। यदि जिला कलक्टर अभियान में सम्मिलित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सम्मिलित करना चाहते है तो उक्त कार्य को कार्ययोजना में सम्मिलित कर अभियान के दौरान शिविरों में सम्पादित किया जावें।

3. **शिविरों का प्रचार–प्रसार एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग :–** ग्राम पंचायतवार शिविर कार्यक्रम एवं सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का उपलब्ध प्रचार माध्यमों यथा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया आदि से पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावें। इन शिविरों की पूर्ण जानकारी माननीय सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों, सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों को दी जावे। प्रत्येक पंचायत समिति का यह दायित्व होगा कि अपने क्षेत्राधिकार की सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी कार्यक्रम को चस्पा किया जावे। यह भी अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान में सभी जनप्रतिनिधिगण का रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा।

4. **विभागाध्यक्षों के दायित्व :–**

- संबंधित विभागाध्यक्ष अभियान के सुचारू संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय **नोडल अधिकारी** (मय नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, एस.एस.ओ आई डी, मो. नं.) नियुक्त कर जिला स्तरीय अधिकारियों को दिनांक 05.09.2025 से पूर्व अभियान के **विभागीय दिशा–निर्देश एवं कार्य योजना** जारी कर इस विभाग को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

- संबंधित विभाग द्वारा शिविरों में संलग्न गतिविधियों अनुसार सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के निस्तारण संबंधित **सूचनाओं के संकलन हेतु प्रपत्र** का निर्धारण कर दिनांक 05.09.2025 से पूर्व इस विभाग को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

- संबंधित विभागों के अधिकारीगण प्रति दिवस शिविर समाप्ति पर अपने विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति रिर्पोट निर्धारित प्रपत्रों में संकलित कर ऑनलाईन पोर्टल पर शिविर प्रभारी के माध्यम से अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें।

- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग **(DoIT&C)** द्वारा शिविर कार्यक्रम को अपलोड करने, पर्यवेक्षण योग्य गतिविधियों के डेटा संग्रहण एवं गतिविधियों की प्रविष्टि हेतु **पोर्टल तैयार किया जावें** एवं उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित विवरण जिला कलक्टर्स को उपलब्ध कराए। उक्त पोर्टल 11.09.2025 तक तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।

5. **पर्यवेक्षण व समन्वय प्रकोष्ठ का गठन** – राज्य स्तर पर एक समन्वय प्रकोष्ठ गठित किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ में श्री हरि सिंह मीना, उप शासन सचिव, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी–I, मो. 94140–56825, श्री बिरदी चन्द गंगवाल, राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी–II, मो. 8104209927, श्री विजय कुमार वर्मा, सहायक नोडल अधिकारी, मो. 99291–87949 एवं श्री मोहम्मद ताहिर, एसीपी राज्य स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी, मो. 94614–79200 राजस्व विभाग स्तर पर नियुक्त किये जाते हैं।

6. **प्रभारी सचिवों का जिले में भ्रमण एवं पर्यवेक्षण** :– प्रभारी सचिवगण अपनी सुविधानुसार अभियान की अवधि के दौरान अपने प्रभार क्षेत्र में 02 बार जाकर निरीक्षण करेगें एवं आवश्यक सुझाव संबंधित विभाग को प्रेषित करें तथा सम्पर्क पोर्टल के 'दौरे एवं निरीक्षण' पोर्टल पर अपलोड किया जावें।

राजस्व विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) होगें। इस संबंध में जिला कलक्टर द्वारा नामजद पृथक से आदेश जारी कर विभाग की ई–मेल आई.डी. Js5.rev@rajasthan.gov.in एवं reveue.itcellg5@rajasthan.gov.in पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जावें। अतः अभियान के दौरान अभियान से संबंधित जानकारी या समस्या के समाधान हेतु राज्य स्तरीय हेल्प लाईन नं. 0141–2923654, 0141–2924149 अथवा संबंधित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोट :**अभियान में सम्मिलित विभाग यदि संलग्न गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधिया/कार्य अभियान में सम्मिलित करवाना चाहे तो कार्ययोजना में अंकित कर इस विभाग को दिनांक 05.09.2025 से पूर्व प्रेषित करें। अभियान में सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य विभाग यदि अभियान में सम्मिलित होना चाहे तो वे अपने विभाग से संबंधित गतिविधिया/कार्य दिनांक 05.09.2025 से पूर्व इस विभाग को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**

sd/
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 19(7)राज–5/सम/2025 जयपुर, दिनांक : 07.09.2025

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषयः "ग्रामीण सेवा शिविर" के अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

राज्यभर में **दिनांक 17 सितम्बर 2025 से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाना है।** इस अभियान के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। **अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हो जावें।** जिला स्तर पर अभियान की तैयारी, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलक्टर की होगी।

अभियान के दौरान सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है। एक तिथि हेतु शिविर की पंचायतों का निर्धारण इस प्रकार से किया जावे कि एक पंचायत समिति क्षेत्र की दोनों पंचायतें नजदीक स्थित हो ताकि पर्यवेक्षण में सुविधा रहे। प्रत्येक शिविर हेतु जिला कलक्टर द्वारा शिविर प्रभारी एवं सहायक शिविर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

उक्त शिविरों में राजस्व विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना :** शिविरों में फॉर्मर रजिस्ट्री (किसान पहचान पत्र) बनाये जाने से वंचित कृषको की फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने का कार्य किया जावें। शिविर स्थल पर ही कृषकों के फॉर्मर रजिस्ट्री हेतु पंजीकरण एवं सत्यापन का कार्य किया जावें।
2. **कैम्प में आये किसानों को ''किसान गिरदावरी ऐप'' डाउनलोड करवाया जाकर, किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित करना :** शिविरों में 'किसान गिरदावरी ऐप' का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें। शिविर में आने वाले कृषकों को इस ऐप से होने वाले लाभों से अवगत करवाते हुए ऐप डाउनलोड करवाया जावें एवं ऐप के माध्यम से गिरदावरी करने की प्रक्रिया समझाई जावें।
3. **आपसी सहमति से विभाजन :** अपना खाता पोर्टल से आपसी सहमति खाता विभाजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्रामवार सूची ई–धरती पोर्टल से प्राप्त की जाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

4. **लम्बित नोटिसों की तामीली** : लम्बित नोटिसों की तामीली में समस्त उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर न्यायालय से जारी होने वाले सभी नोटिसो की अभियान से पूर्व ही ग्राम पंचायतवार सूची तैयार करवाई जावें। लम्बित नोटिसों की तामीली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित न्यायालय द्वारा दी गई तारीख से पूर्व विधिवत तामील करवाया जाकर तामीलशुदा नोटिस को संबंधित न्यायालय को समय से पूर्व पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।

5. **नामान्तकरण** : अपना खाता पोर्टल से नामान्तरकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्रामवार सूची ई–धरती पोर्टल से प्राप्त की जाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जावे। राजस्व मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा नामान्तरण के लिए समय समय पर जारी परिपत्र/दिशा निर्देशों के अध्यधीन समयबद्ध रूप से फीफो आधार पर नामान्तरण करना होता है। धारा 135(2) के प्रकरणों को इन अभियान में मौके पर निस्तारण किया जाना है।
6. **मूल निवास प्रमाण एवं जाति प्रमाण पत्र को बनाना एवं वितरित करना** : शिविर के दौरान/पूर्व में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर शिविर में प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

शिविर के दौरान उक्तानुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करवाया जाना है। इसके अतिरिक्त विभागीय तौर पर राजस्थान सम्पर्क, सीएमआईएस पोर्टल, एमजेएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना है। इसके लिए जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार अग्रिम कार्यदल बनाये जाकर पूर्व तैयारी की जाकर सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण करावें।

उक्त बिन्दुओं पर शिविर के दौरान त्वरित कार्यवाही कर आमजन के कार्यो का मौके पर ही निस्तारण करने की सुनिश्चिता की जावे। शिविरों में ई–मित्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु मेन–विद–मशीन की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावें। उपयोग में आने वाले प्रपत्र, आवेदन पत्र/अन्य आवश्यक स्टेशनरी के मुद्रण, वितरण की व्यवस्था शिविर आरम्भ से पूर्व ही कर ली जावे। यह भी सुनिश्चित करे ले कि उक्त कार्यों के संबंध में नियमों, प्रावधानों, परिपत्रों व प्रक्रिया की समुचित जानकारी आपके अधीनस्थ पदस्थापित समस्त अधिकारियों को है, जिससे प्रकरण निष्पादन में कोई समस्या नहीं आवे। **शिविर के दौरान कतिपय कार्य जिनका ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सम्पादन/निस्तारण किया जाता है, प्राप्त होते है तो उनको पहले पोर्टल पर दर्ज किया जावे तद्परान्त सम्पादन/निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे।** शिविरों के सफल संचालन हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देश दिनांक 03.09.2025 को भी ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार की जावें।

जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करें कि समस्त विभागों के सूचना प्रपत्रों को इकजाई करवाकर पोर्टल में डेटा की प्रविष्टि शिविर दिवस को ही सांय 05.30 बजे तक करवाई जावें। साथ ही जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिवस को जिले में आयोजित शिविरों में से चयनित एवं गुणवत्तापूर्वक फोटोग्राफ व न्यूनतम 02 सफलता की कहानी पोर्टल पर अपडेट करवायी जाए। अभियान के दौरान किये गये कार्यो एवं सफलता की कहानियों का मीडिया

कवरेज व विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जावें एवं उक्त अभियान हेतु जिला स्तरीय सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार करवाया जावें।

राजस्व विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व) होगें। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जावें। इस संबंध में जिला कलक्टर द्वारा नामजद पृथक से आदेश जारी कर विभाग की ई–मेल आई.डी. **Js5.rev@rajasthan.gov.in** एवं **reveue.itcellg5@rajasthan.gov.in** पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जावें। अभियान के दौरान अभियान से संबंधित जानकारी या समस्या के समाधान हेतु राज्य स्तरीय हेल्प लाईन नं. 0141–2923654, 0141–2924930 अथवा संबंधित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें।

sd/
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित शामिल कार्य एवं गतिविधियां

क्र.सं.	किये जाने वाले कार्य	विभाग का नाम
1	लम्बित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना।	राजस्व विभाग
2	"किसान गिरदावरी ऐप" डाउनलोड करवाया जाना एंव किसान गिरदावरी के लिए प्रेरित करना।	
3	उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों के लम्बित नोटिसों की तामील करवाना।	
4	लम्बित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना।	
5	अपना खाता पोर्टल पर आपसी सहमति से विभाजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना।	
6	अपना खाता पोर्टल पर लंबित नामान्तकरण प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना।	
7	मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना एवं वितरित करना।	
8	जाति प्रमाण पत्र बनाना एवं वितरित करना।	
9	भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के प्रकरणों का निस्तारण करना।	
10	लंबित गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना।	

ग्रामीण सेवा शिविर में अन्य विभागों से संबंधित कार्य एवं गतिविधियां

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	किये जाने वाले कार्य
1	**ग्रामीण विकास विभाग**	1	पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव के तहत 10000 और गांव में बीपीएल परिवारों का सर्वे।
		2	विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (जैसे डांग, मगरा, मेवात इत्यादि) के तहत उपलब्ध राशि के माध्यम से स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य।
2	**पंचायती राज विभाग**	3	स्वामित्व योजना के तहत पट्टो हेतु आवेदन, स्वीकृतियां एवं वितरण।
		4	**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**– IHHL हेतु आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृतियां जारी करना, सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृतियां एवं अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील बनाया जाना, RRC केन्द्रों को भूमि आवंटन एवं केन्द्रों हेतु स्वीकृतियां जारी करना
		5	मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण
3	**वन विभाग**	6	सेवा पर्व में पखवाड़े में 7 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त करना।
		7	वृक्षारोपण हेतु नमो वन/नमो पार्क के लिए भूमि का चिन्हिकरण (जैसे सरकारी भूमि/गोचर/चारागाह आदि)
4	**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**	8	**मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य** – महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, ओरल, ब्रेस्ट, सवाईकल कैंसर की स्क्रीनिंग, सिकल सैल रोग की स्क्रीनिंग (ट्राइबल एरिया), बच्चों का टीकाकरण, एनसीडी स्क्रीनिंग करना।
		9	**टीबी मुक्त भारत अभियान** – टी.बी. रोग की स्क्रीनिंग, निक्षय मित्र बनाना, पोषण किट का वितरण
		10	पीएमजेवाई कार्ड बनाना एवं वितरित करना।
5	**पशुपालन विभाग**	11	पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
		12	मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा कर पॉलिसी वितरित करना।
		13	पशुओं का टीकाकरण करना।
6	**ऊर्जा विभाग**	14	विद्युत सप्लाई, त्रुटिपूर्ण मीटर, ट्रान्सफॉर्मर, बिजली के झूलते तारों एवं खम्भों आदि की समस्याओं का निपटारा करना।
		15	बिल, मांगपत्र एवं लोड संबन्धी शिकायतों को प्राप्त करना एवं निस्तारण।
7	**कृषि विभाग**	16	बीज मिनी किट वितरण।
		17	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसी वितरित करना।
8	**आयोजना विभाग**	18	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत शेष रहे पात्र व्यक्तियों के नये बैंक खाते खोलना एवं निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन।
		19	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana में नये पंजीयन करना एवं लंबित क्लेम वितरित करना।
		20	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में नये पंजीयन करना एवं लंबित क्लेम वितरित करना।
		21	APY (Atal Pension Yojana) में नये पंजीयन करना।

		22	जनआधार योजना में नवीन नामांकन एवं अद्यतन/संशोधन किया जाना।
9	जनजातिय एवं क्षेत्रिय विकास विभाग	23	आदि कर्मयोगी अभियान के अन्तर्गत 6019 गाँवो का Village Action Plan बनाना।
10	खाद्य विभाग	24	NFSA पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण।
		25	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नवीन पात्र परिवार/सदस्यों की आधार सीडिंग।
		26	NFSA परिवारों/सदस्यों की ई–केवाईसी करना।
		27	NFSA राशन कार्ड धारक परिवारों की एल.पी.जी. आई.डी. मैप करना
11	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	28	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स सत्यापन।
		29	पालनहार योजना में नामाकंन एवं नवीनीकरण (सत्यापन) करवाना।
		30	यूडीआईडी कार्ड के आवेदनों का निस्तारण करना।
		31	संयुक्त सहायताः आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरणों का वितरण।
		32	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करना।
12	महिला एवं बाल विकास विभाग	33	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीयन एवं वित्तीय लाभ प्रदान करना।
13	श्रम विभाग	34	टूलकिट/औजार सहायता योजना में आवेदनों का निस्तारण
14	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	35	जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना।
15	जल संसाधन विभाग	36	जल भराव के क्षेत्रों को चिन्हित कर पंचायत से समन्वय कर निकासी की कार्ययोजना तैयार करना।
		37	कॉज–वे बनाना, बांधो की ऊंचाई बढाना एवं बांधो के गेट लगाने के प्रस्ताव तैयार करना।
		38	पानी के निकासी मार्गों में अतिक्रमण चिन्हित करना।
		39	क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

सेवा पर्व पखवाड़ा

अन्तर्गत

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025

में राजस्व विभाग एवं सहभागी विभागों द्वारा अधीनस्थ जिला अधिकारियों हेतु जारी निर्देश

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांकः- एफ 156(0)/मो०/पंरावि/विविध/ई. फाईल-64530 **दिनांक : 10.09.2025**

मुख्यमुख्य कार्यकारी अधिकारी .अति/
जिला परिषद्, समस्त ।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

-: संशोधित दिशा निर्देश :-

विषयः- "ग्रामीण सेवा शिविर" 17 सितम्बर, 2025 से आयोजित किये जाने बाबत।

विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश राजकाज क्रमांक 17584150 दिनांक 04.09.2025 की निरन्तरता में निम्नानुसार संशोधन / परिवर्तन किये जा रहे हैं :-

1. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2025 से आयोजित गांव चलो अभियान का नाम अब "ग्रामीण सेवा शिविर" किया गया है।

2. उक्त अभियान अब दिनांक 17 सितम्बर से प्रारम्भ किया जाना है। अभियान के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले शिविर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार (दिनांक 17,18,19 एवं 20 सितम्बर 2025) को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने है। शेष अभियान के शिविर यथावत सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है। अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जावे।

3. संदर्भित पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं शेष निर्देश यथावत रहेंगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

Sd/
(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास (अनुभाग-6) विभाग

क्रमांक प. 56(1)ग्रा.वि./एसएपी/PDUGMGY/गाईडलाईन/2025/5684 **दिनांक : 08.09.2025**

समस्त, जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- दिनांक 18 सितम्बर, 2025 से प्रांरभ 'गांव चलो अभियान' के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.09.2025 से गांव चलो अभियान का आयोजन किया गया हैं। अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1. विधायक / सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं डांग/मगरा / मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशि के माध्यम से स्कूलों इत्यादि के मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य, 2. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना अन्तर्गत तृतीय चरण में 10000 नवीन गांवों में बीपीएल परिवारों का सर्वे सम्पदित किया गया जाएगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 2.5 तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 5.1.9 के अनुसार राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं आंगनबाड़ी भवन इत्यादि के मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य अनुमत है। अतः माननीय सांसद / विधायक महोदय से आग्रह कर उक्त श्रेणी के कार्यों की अभिशंषा प्राप्त कर तत्काल कार्यों की स्वीकृतियां जारी की जावे।

2. डांग / मगरा / मेवात क्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार जिलों को आवंटित राशि का 20 प्रतिशत तक राजकीय परिसम्मपतियों के मरम्मत / जिर्णोद्धार पर व्यय की जा सकती है। अतः वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना में आवंटित राशि के 20 प्रतिशत तक उक्त श्रेणी के कार्य सम्मिलित करते हुये दिनांक 16.09.2025 तक प्रस्ताव राज्य स्तरीय बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जावे।

3. राज्य स्तर से कार्य योजना के अनुमोदन उपरान्त आयोजित होने वाले कैम्प में उक्त श्रेणी के कार्यो की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी की जावे।

4. अभियान के दौरान पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण हेतु प्रत्येक जिलें द्वारा 244 गांवों का चयन करते हुए चयनित गांवों के बीपीएल परिवारों के सर्वे की कार्यवाही की जाए।

5. अभियान के दौरान आयोजित होने वाले कैम्पों में चयनित बीपीएल परिवारों के सर्वे फॉर्म को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना हेतु तैयार किये गए विभागीय पोर्टल पर दैनिक रूप से अद्यतन की जावें।

6. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना अंतर्गत पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् एवं नवसृजित जिलों हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

sd /
(पुष्पा सत्यानी)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास (अनुभाग-6) विभाग

क्रमांक पं. 56(1)ग्रावि/एसएपी/PDUGMGY/गाईड लाईन/2025/5685 **दिनांक : 08.09.2025**

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजनान्तर्गत तृतीय चरण हेतु 10,000 ग्रामों का चयन कर सर्वे आयोजित करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 10,000 गांवों का चयन किया जाकर उनके बीपीएल परिवारों का सर्वे कार्य किया गया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र है।

राज्य सरकार को निर्णयानुसार दिनांक 18 सितम्बर, 2025 से प्रारंभ होने वाले 'गांव चलो अभियान' में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तृतीय चरण हेतु 10,000 अतिरिक्त गांवों का चयन कर सर्वे आयोजित किया जाना है, अतः योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 6.2 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय चरण हेतु योजनान्तर्गत प्रत्येक जिलें को समान रूप से 244 गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किया जाता है।

योजनान्तर्गत बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या को आधार माने हुए आरोही कम (Ascending Order) में तैयार जिला स्तरीय वरियता सूची से प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित गांवों को छोड़ते हुए अगले ऐसे 244 गांवों का चयन किया जाना है, जिनमें बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार बीपीएल परिवार निवास करते है।

गांवो का चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि -

1. योजनान्तर्गत सभी गांव जिले के बीपीएल परिवारों की संख्या को आधार मानते हुए आरोही कम में तैयार जिला स्तरीय सूची के प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित गांवों को छोड़ते हुए अगले 244 गांवों का चयन किया गया है।

2. बीपीएल परिवारों की संख्या, बीपीएल जनगणना 2002 से लिया गया है।

3. योजनान्तर्गत चयनित सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र में आते है एवं चयनित गांव वर्तमान में राजस्व गांव है।

अतः 'गांव चलो अभियान' अन्तर्गत लक्ष्यानुरूप प्रत्यके जिले से 244 गांवों का चयन कर चयनित बीपीएल परिवारों का सर्वे करवाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

sd /
(पुष्पा सत्यानी)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांकः- एफ 156(0)/ मो०/पंरावि/विविध/ई. फाईल-64530 **दिनांकः 04.09.2025**

1. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, समस्त।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त ।

विषयः- गांव चलो अभियान 18 सितम्बर, 2025 से आयोजित किये जाने बाबत दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य भर में दिनांक 18 सितम्बर, 2025 से गांव चलो अभियान आयोजित किया जाना है। गांव चलो अभियान के अन्तर्गत शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हो जावें। अभियान के दौरान सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाना है। जिसके संबंध में संदर्भित पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः-

1. **स्वामित्व योजनाः**- वर्ष 2025-2026 की बजट घोषणा में स्वामित्व कार्ड तैयार कर वितरित करने की घोषणा की गई है इस क्रम में विभागीय पत्रांक 13817080 दिनांक 10.03.2025 (प्रति संलग्न) द्वारा नये पट्टे के साथ एवं पुराने पट्टे के साथ सभी जिलो के न्यूनतम लक्ष्य आवंटित किये गए है। इस अभियान के दौरान स्वामित्व कार्ड तैयार कर शिविर में संबंधित लाभार्थी को भौतिक रूप से वितरित करना सुनिश्चित करे। Map 1 व Map 2 के मिलान व प्रमाणीकरण की कार्यवाही भी Survey of India के अधिकारियों से समन्वय कर करना सुनिश्चित करे।
2. **हरियालो राजस्थानः-** इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 15587814 दिनांक 05.06.2025 द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए है। इन दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अधिकाधिक वृक्षारोपण सुनिश्चित करे।
3. **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):-** स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की वर्ष 2025-26 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप प्रत्येक गतिविधि के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य राजकाज क्रमांक 14706576 दिनांक 15.04.2025 द्वारा निर्धारित किये गये है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्य करवाये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश राजकाज क्रमांक 11525351 दिनांक 17.11.2024 एवं 11525274 दिनांक 17.11.2024 द्वारा जारी किये गये है।

उक्त अभियान में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

- IHHL के लिए आवेदन प्राप्त करना।
- IHHL की स्वीकृतियां जारी करना।
- नवीन स्वीकृत सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृतियां जारी करना।
- पूर्व में बने सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील करना।
- सोक पिट लीच पिट की स्वीकृतीयाँ जारी करना।/मैजिक पिट /
- घर घर कचरा संग्रहण का लम्बित कार्यादेश जारी करना। (यदि कोई हो)

- घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का भौतिक निरीक्षण करना।
- RRC केंद्र हेतु भूमि आँवंटन करना।

4. शिविर स्थलः- राजस्व विभाग एवं जिला कलक्टर के दिशा-निर्देशानुसार पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन पंचायत भवन, स्कूल भवन या उपलब्ध अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जावें तथा आगन्तुकों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे। शिविर में मेज, कुर्सियों, दरियों, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। व्यवस्था के समन्वय का कार्य विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। शिविरों का आयोजन हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था ग्राम पंचायत / पंचायत समिति के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करे। इन शिविरों के आयोजन हेतु शिविर वार आवश्यक बजट हेतु आदेश पृथक से जारी किये जा रहे है।

5. शिविरों की पूर्व तैयारीः- ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले शिविरों के लिए कार्य योजना बनाकर पूर्व तैयारी की जावेगी। आयोजित होने वाले शिविरों में किये जाने वाले कार्यों के लिए अग्रिम दल गठित करते हुए ऐसे कार्यों जिनमें प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें पूरी करनी होती है या तथ्यपरक सूचनायें अपेक्षित हो, की प्रारम्भिक कार्यवाही शिविर से पूर्व ही कर ली जावे ताकि शिविर के दिन प्रकरण प्रस्तुत कर आदेश लिये जा कर अन्तिम निस्तारण हो सके। विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्रों की तैयारी अभियान से पूर्व ही कर लेवे ताकि शिविरों में अनावश्यक रूप से समय व्यय नही हो।

6. शिविरों का प्रचार-प्रसार एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोगः- ग्राम पंचायतवार शिविर कार्यक्रम एवं सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का उपलब्ध प्रचार माध्यमों यथा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया आदि से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावें। इन शिविरों की पूर्ण जानकारी माननीय सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों, सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों को दी जावे। प्रत्येक पंचायत समिति का यह दायित्व होगा कि अपने क्षेत्राधिकार की सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी कार्यक्रम को चस्पा किया जाये। यह भी अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण समस्याओं के समाधान में सभी जनप्रतिनिधिगण का रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा

7. अभियान के संबंध में निम्नानुसार नोडल अधिकारी / सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते है:-

7.1 राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी:-

1. श्री इन्द्रजीत सिंह उपायुक्त एवं शासन उप सचिव, प्रथम (विधि)

सहायक नोडल अधिकारीः-

1. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता, प्रोजेक्ट (मो.न. - 9414059989)
2. श्री फूल सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक (मो०) (मो.न.-9785768630)
3. श्रीमती रूचि मित्तल, उप निदेशक (एसीपी) (मो.न. - 9782356332)

7.2 जिला स्तर पर

जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अपने अपने जिले में उक्त अभियान हेतु नोडल अधिकारी होगें।

8. नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी के दायित्वः- अभियान अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यो के नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी का निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किया जाता है।

8.1 राज्य स्तर पर

8.1.1 नोडल अधिकारीः- सम्पूर्ण अभियान के कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग करना।

8.1.2 सहायक नोडल अधिकारी (एम.एम.):- अभियान अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यो की प्रतिदिन की इकजाई प्रगति रिपोर्ट नोडल अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना तथा नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य कार्य सम्पादित करना।

8.1.3 सहायक नोडल अधिकारी (JDM):- संबंधित से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर विभागीय बैठकों में प्रजेंटेशन प्रस्तुत करना।

8.1.4 सहायक नोडल अधिकारी (तकनीकी):- उक्त अभियान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार पोर्टल से संबंधित तकनीकी कार्य करना नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य कार्य सम्पादित करना।

8.2 जिला स्तर परः-

8.2.1 नोडल अधिकारी अपने जिले में आयोजित शिविरों की शिविर समाप्ति पर विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति रिर्पोट प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्रों में संकलित कर ऑनलाईन पोर्टल पर शिविर प्रभारी के माध्यम से अपडेट करवाना तथा नोडल / सहायक नोडल अधिकारी (एम एम) को रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी. seprd1235@gmail.com पर प्रेषित करना।

9. मॉनिटरिंग फॉर्मेटः- अभियान अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

Sd/

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान

क्रमांक : F 10(1)GIS/MVKPY/2024-25/17761254 **दिनांक : 13.09.2025**

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय :- दिनांक 17.09.2025 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सेवा पर्व पखवाड़ा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को सम्मिलित करवाते हुये पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के बिन्दु संख्या 42 में "मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना" लागू करने की घोषणा की गई है। योजनान्तर्गत प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के 18 वर्ष से 45 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (street vendors) तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बंधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है। योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपये 3000/- (अक्षरे राशि रूपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

उक्त योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्तर से किया जा रहा है तथा योजना की प्रक्रिया विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से संपादित की जा रही है। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) के आदेश क्रमांक प. 1(21)वित्त/बीमा/2024 दिनांक 22.08.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.11.2024 के बिंदु संख्या 11 (3) की पालना में सहयोगी विभाग यथा श्रम विभाग स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग कला एवं संस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिनका योजना के लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संबंध हो के द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों का योजना से जुड़ाव, नामांकित लाभार्थियों का योजना में निरंतर बनाए रखना आदि दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। जिससे कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की सफल क्रियान्विति की जा सके।

वर्तमान में 41 से 45 वर्ष के लाभार्थियों हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन प्रारम्भ हो चुकी है। जिसके लिये लाभार्थी का जनाधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड (UAN) नंबर, बैंक में बचत खाता की पासबुक या कैंसिल चेक आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन संबंधी मार्गदर्शन एवं पोर्टल से संबंधी तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय सहयोग हेतु तत्पर हैं।

अतः मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को दिनांक 17.09.2025 से आयोजित सेवा पर्व पखवाड़ा में सम्मिलित करवाते हुये पात्र लाभार्थियों की पहचान करवाकर लाभार्थियों का अधिकाधिक पंजीकरण करवाने का श्रम करावें तथा साथ ही निर्देशानुसार संलग्न प्रारूप में सूचना प्रमुख शासन सचिव राजस्व को भिजवाते हुये प्रतिलिपि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें।

Sd/
(हेम पुष्पा शर्मा)
निदेशक

राजस्थान सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमांक : 14460 **दिनांक : 09.09.2025**

निमित्त,
समस्त मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक एवं वन्यजीव),
समस्त उप वन संरक्षक (प्रादेशिक एवं वन्यजीव)

विषयः- "गाँव चलो अभियान" में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा "गाँव चलो अभियान" दिनांक 18 सितम्बर 2025 से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त प्रस्तावित अभियान में वन विभाग की ओर से प्रस्तावित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक	प्रस्तावित गतिविधियाँ
18 सितम्बर 2025 से प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन हो जाने की दिनांक तक	• **नर्सरियों / कार्यालय भवन का विशेष (चौकी इत्यादि / नाका/रेंज / डिविजन) स्वच्छता कार्यक्रम** • **वन विभाग की नर्सरियों, वन क्षेत्र आदि के आस) पास नेचर वॉक-Nature Walk) जिसमें पेड़पौधो की प्रजातियों-, पक्षियों आदि के बारे में जानकारी देना** • **नमो वन या नमो पार्क के लिए भूमि की पहचान करने** • **वृक्षारोपण कार्यकम**

"गाँव चलो अभियान" अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों दिनांक 03.09.2025 (प्रति संलग्न) की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। अभियान के दौरान सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार को सांय काल तक स्वच्छता अभियान /वृक्षारोपण कार्यक्रम की सूचना निम्न प्रपत्र में इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. ccfplan99@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

जिले नाम	दिनांक	स्वच्छता कार्यक्रम स्थान	वृक्षारोपण स्थल का नाम व स्थान	वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगाये गये पौधों की संख्या

"इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।"

Sd/
(आनन्द कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान

क्रमांकः चि.प्र/गांव चलो अभियान /2025/176 **दिनांकः- 08.09.2025**

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान ।

विषयः- दिनांक 19 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित गांव चलो अभियान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा गांव चलो अभियान का आयोजन दिनांक 19.09.2025 से 02.10.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं प्रत्येक पंचायत समिति की 02 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया जाएगा।

नोडल अधिकारी एवं शिविर प्रभारीः- उक्त अभियान हेतु जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नोडल अधिकारी एवं जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी सह नोडल होंगे तथा संबंधित क्षेत्र के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिविर प्रभारी रहेंगे।

अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संपादित की जाएंगी :

1. **उपचार एवं परामर्श :** शिविर में आने वाले रोगियों को आवश्यक उपचार एवं परामर्श दिया जाएं साथ ही प्राथमिक स्वा. केन्द्र स्तर की आवश्यकतानुसार जांचे की जाएं। मौसमी बीमारीयों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु एक दिवस पूर्व सर्वे टीम गठित कर संबंधित ग्राम पंचायत में एंटीलार्वा गतिविधियां संपादित की जावें इसके अतिरिक्त आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक भी किया जावें।

2. NCD स्क्रीनिंग :

- आशा सहयोगिनी द्वारा समस्त 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को उक्त शिवरो में स्क्रीनिंग एवं काउन्सलिंग हेतु मोबिलाईस किया जावेगा।
- शिविर स्थल पर आने वाले 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की B.M.I, बीपी, शुगर एवं कॉमन कैंसर की जांच कर एनसीडी पोर्टल पर डाटा इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
- बीपी एवं शुगर की जांच में पॉजिटिव पाये गये एवं फॉलोअप पर आने वाले मरीजों का नियमानुसार उपचार कर एनसीडी पोर्टल पर आभा आईडी के माध्यम से डाटा इन्द्राज किया जावें, साथ ही रोग से बचाव हेतु जीवन शैली में परिवर्तन हेतु सलाह दी जायें।

3. **महिला स्वास्थ्य जांच :** शिविर में आने वाली महिलाओं एवं किशोरियों की भी बी.पी. शगुर, हिमोग्लोबीन, वजन व बी.एम.आई के साथ-साथ ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, टी.बी एवं सिकल सैल रोग (ट्राइबल एरिया) की भी स्क्रीनिंग की जाएं।

4. गर्भवती महिलाओं का एएनसी चैकअप :

- सभी गर्भवती महिलाओं का 12 सप्ताह से पूर्व पंजीकरण एवं प्रसव पूर्व 4 जांचे, आईएफए गोली, कैल्सीयम की गोली देते हुए हिमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, बजन इत्यादि की जांच सुनिश्चित की जावें।

- सभी गर्भवती महिलाओं का टीडी टीकाकरण एवं प्रथम तिमाही में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की जांच एवं. न्हिकरण आवश्यक रूप से किया जावें।चि
- एएम व आशा सहयोगिनी क्षेत्र में भ्रमण कर ड्यू लिस्ट तैयार करेंगे एवं संभावित लाभांवितो को पूर्ण .एन. सेवाऐं प्रदान करेगें, साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाये की इनकी प्रविष्ठी पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में उसी दिन हो जावें।

5. शिशु टीकाकरण : सभी शिशुओं का टीकाकरण (ड्रॉपआउट एवं लेफ्टआउट) करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं शिविर से एक दिन पूर्व क्षेत्र की ए.एन.एम व आशा सहयोगिनी क्षेत्र में भ्रमण कर ड्यू लिस्ट तैयार करेंगे एवं वंचित शिशुओं को शिविर में उपस्थित होने हेतु परिवार जनों को प्रेरित करेंगे तथा टीकों की प्रविष्ठी पीसीटीएस एवं यूविन सॉफ्टवेयर में करना सुनिश्चित करेंगे।

6. टीबी मुक्त भारत अभियान :

- टीबी के संभावित लक्षणों वाले रोगियों की आशा, एएनएम एवं सीएचओं के माध्यम से चिन्हित करते हुए उनकी आवश्यक NAAT जांच हेतु स्यूटम के सैंपल लिए जावें।
- टीबी रोगियों की पहचान करते हुए तुरन्त ही उपचार प्रारम्भ किया जावें।
- टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय निवासियों को प्रेरित करते हुए निक्षय मित्र बनाया जाएं।
- टीबी रोगियों को दानदाताके माध्यम से पोषण किट का शत (निक्षय मित्र) स्वयं सेवी संस्थान व अन्य/ प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जावें।
- टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत सहायता राशि खाते में स्थानान्तरित भी की जावें।

7. रक्तदान शिविर : गांव चलों अभियान के अंतर्गत खण्ड एवं जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएं।

8. PMJAY Cards : शिविर के दौरान लम्बित ईकेवाईसी एवं कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण किया जायें।

9. जागरूकता कार्यक्रम : शिविर में आने वाले व्यक्तियों विशेष तौर पर महिलाओं एवं किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता एवं पौषण से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए महिलाओं एवं किशोरियों को जागरूक किया जावें। इसके अतिरिक्त आम जन को तेल/घी, नमक एंव चीनी का उपयोग सीमित मात्रा में लेने की सलाह भी दी जाएं।

तंबाकू निषेध एवं नशा मुक्ति परामर्श कर ग्रामीण समुदाय में तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया जाएं।

उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी / पैरामेडिकल स्टॉफ, एवं अन्य की नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। शिविर प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निर्धारित दिनांक व समय पर कार्मिकों, आवश्यक दवाईयां, उपकरण, जांच किट व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं शिविर प्रभारी प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में शिविर की प्रगति रिपोर्ट संबंधित संयुक्त निदेशक के माध्यम से निदेशालय की ई-मेल आई.डी adhadmhs@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Sd/
(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकःएफ वी7(13)प.पा/विस्तार/ गांव चलो अभि./2025/2332 **दिनांक : 12.09.2025**

समस्त, जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक,
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामन सिटी.
राजस्थान ।

-: संशोधित दिशा निर्देश :-

विषयः- राज्य में ग्रामीण सेवा शिविर के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय भागीदारी के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रदेश में दिनांक 17 सितंबर 2025 से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजन तक अभियान की अवधि रहेगी।

अभियान के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले शिविर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार (दिनांक-17,18,19 एवं 20 सितम्बर) को प्रत्येक दिवस दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाना है। शेष अभियान के शिविर यथावत गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस दो-दो ग्राम पंचायतों में आयोजित किये जाने है। ग्रामीण सेवा शिविर की तैयारी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राजस्व विभाग नोडल विभाग है। शिविर का समय प्रातः 10:00 बजे से सांयकाल 5:00 बजे तक रहेगा।

अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पर आयोजित किये जाने वाले शिविरों के दौरान पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रोगी पशुओं का उपचार, पेट के कीड़ों की रोकथाम हंतु पशुओं को कृमिनाशक औषधियां पिलाना, बाहरी परजीवियों की रोकथाम हेतु दवा का छिडकाव करना तथा माह सितम्बर में प्रारम्भ किये जा रहे एफ.एम.डी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान के तहत गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में टीकाकरण टीको की उपलब्धता अनुरूप किया जाना है, इसके अलावा अन्य रोगो के प्रति भी टीकाकरण का कार्य सम्पादित किया जाना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत स्थानीय लाभान्वित पशुपालकों को बीमित पशुओं की पॉलिसी (बीमा पत्र) का वितरण भी को ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जिला कलेक्ट्रेट अथवा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान की गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित कर भाग लेंवें साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री गंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटेरिनरी इकाई एवं कॉल सेन्टर-1962 तथा सेक्स सोर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान आदि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करा पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने के प्रयास सुनिश्चित करावें।

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में विभागीय गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने है। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी (मय नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, एस.एस.ओ. आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर) की वांछित सूचनाएं तैयार कर आज ही उप निदेशक (विस्तार) पशुपालन निदेशालय की ई-मेल आई.डी. ddextension@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान के तहत आयोजित शिविरों में विभागीय गतिविधियों की प्रगति संलग्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर प्रतिदिन शिविर समाप्ति पर ऑनलाईन पोर्टल पर शिविर प्रभारी के माध्यम से अपडेट कराते हुए उप निदेशक (विस्तार) पशुपालन निदेशालय की ई-मेल आई.डी. ddextension@yahoo.com पर भी प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान करें।

(डा.आनन्द सेजरा) निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन निदेशालय, जयपुर

क्रमांकःएफ वी7(13)प.पा/विस्तार/ गांव चलो अभि./2025/2149 **दिनांक : 04.09.2025**

समस्त, जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक,
उप निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान ।

विषयः - राज्य में गांव चलो अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय भागीदारी के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रदेश में दिनांक 18 सितंबर 2025 से गांव चलो अभियान का आयोजन किया जा रहा है। गांव चलो अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है। राज्य प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजन तक अभियान की अवधि रहेगी।

अभियान के दौरान सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस को प्रत्येक पंचायत समिति के दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाना है। गांव चलो अभियान की तैयारी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राजस्व विभाग नोडल विभाग है। शिविर का समय प्रातः 10:00 बजे से सांयकाल 5:00 बजे तक रहेगा।

अभियान के दौरान राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पर आयोजित किये जाने वाले शिविरों के दौरान पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रोगी पशुओं का उपचार, पेट के कीड़ों की रोकथाम हेतु पशुओं कों कृमिनाशक औषधियां पिलाना, बाहरी परजीवियों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव करना तथा माह सितम्बर में प्रारम्भ किये जा रहे एफ.एम.डी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान के तहत गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में टीको की उपलब्धता अनुरूप टीकाकरण का कार्य सम्पादित किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि जिला कलेक्ट्रेट अथवा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान की गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित कर भाग लेवें साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पर आयोजित इन शिविरों के दौरान टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटेरिनरी इकाई एवं कॉल सेन्टर-1962 तथा सेक्स सोर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान आदि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करा पशुपालकों को लाभान्वित किये जाने के प्रयास सुनिश्चित करावें।

गांव चलो अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में विभागीय गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने है। जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी (मय नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, एस.एस.ओ. आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर) की वांछित सूचनाएं तैयार कर आज ही उप निदेशक (विस्तार) पशुपालन निदेशालय की ई-मेल आई.डी. ddextension@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

गांव चलो अभियान के तहत आयोजित शिविरों में विभागीय गतिविधियों की प्रगति संलग्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर प्रतिदिन शिविर समाप्ति पर ऑनलाईन पोर्टल पर शिविर प्रभारी के माध्यम से अपडेट कराते हुए उप निदेशक (विस्तार) पशुपालन निदेशालय की ई-मेल आई.डी. ddextension@yahoo.com पर भी प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान करें।

Sd/
(डा.आनन्द सेजरा)
निदेशक

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कार्यालय अध्यक्ष डिस्कॉम्स एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर

क्रमांक : अध्यक्ष डिस्कॉम्स/मुअ(मु.)/प्रे./465 **दिनांक : 09.09.2025**

संभागीय मुख्य अभियंता ( ),
जयपुर/ जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम,

विषय : 'शहर चलो अभियान" एवं "गांव चलो अभियान" आयोजित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.09.2025 से 02.10. 2025 तक 'शहर चलो अभियान एवं दिनांक 19.09.2025 से 02.10.2025 तक "गांव चलो अभियान" आयोजित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुयें है।

उक्त शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल आयोजन हेतु निगम आदेश क्रमांक JPD/Admn/HR/Estt/F.1(Gen.)/D.1825 दिनांक 09.09.2025 द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त दिशा-निर्देशानुसार प्रयास किया जाए कि जो भी व्यक्ति बिजली तारों एवं खम्भों इत्यादि में सुधार संबधित कार्य / बिजली विभाग से संबधित शिकायत के लिए शिविर में आये, उसका कार्य/शिकायत का निस्तारण उसी दिन पूर्ण किया जावे। शिविर का समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक रहेगा। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगें कि शिविर में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी का शिविर के शुरू होने से शिविर की समाप्ति तक शिविर में उपस्थिति रहेंगें। अभियान के दौरान निष्पादित कार्यों पर "शहर चलो अभियान" / "गांव चलो अभियान" की मुहर अंकित की जायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जारी दिशा-निर्देशों की बिन्दुवार पालना किया जाना एवं आयोजित किये जाने वाले शिविरों की नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट (प्रारूप संलग्न) एकजाई कर भिजवाना सुनिश्चित करें।

sd /
(आरती डोगरा)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. श्रीमान प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर / अजमेर डिस्कॉम, जयपुर / जोधपुर /अजमेर
3. श्रीमान अधीक्षण अभियंता (पवस), जयपुर / जोधपुर / अजमेर डिस्कॉम,

sd /
प्रावै. सहायक अध्यक्ष डिस्कॉम्स

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, जयपुर

क्रमांक : एफ 6(iii)आ.कृ/2024-25/9656 **दिनांक : 12.09.2025**

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार),
जिला परिषद, समस्त

विषय :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) मौसम सत्र खरीफ 2025 की फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2025 से 'गांव चलो अभियान' का आयोजन राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा सेवाओं से संबंधित कार्य शिविरों में संपादित किए जाएंगे।

इस संबंध में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के अंतर्गत अब तक पोर्टल पर जनरेट की गई फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण किसानों को शिविरों में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में आयोजित किये जा रहे शिविरों में फसल बीमा पॉलिसी वितरण का कार्यकम उक्त दिनांक को आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें। संबंधित बीमा कंपनियां शिविरों में अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा कृ षि विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सभी पात्र किसानों को फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण का कार्य संपन्न करेंगी।

आपसे अपेक्षा है कि 'गांव चलो अभियान" के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण प्राथमिकता से किया जाएगा तथा इस कार्य की प्रगति रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

sd /
(गोपाल लाल)
अतिरिक्त निदेशक
कृषि (आदान)

राजस्थान सरकार
आयोजना (संस्थागत-वित्त) विभाग

क्रमांक प. 25(20)/आयो/2023 **दिनांक : 04.09.2025**

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2025 (प्रति संलग्न) के क्रम में राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 15.09.2025 से प्रस्तावित "शहर चलो अभियान" एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2025 से प्रस्तावित "ग्रामीण सेवा शिविर" तथा सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 02.10.2025 से प्रस्तावित "सहकार सदस्यता अभियान" के अन्तर्गत आयोजना विभाग की गतिविधि वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से संचालित राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान (Saturation Campaign of GoI) के तहत किये जा रहे बैंकिंग कार्यों यथा - नया प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना अन्तर्गत नामांकन करना, निष्क्रिय PMJDY अथवा अन्य बैंक खातों का पूनः सत्यापन करना, PMJJBY एवं PMSBY अन्तर्गत दावों का वितरण करना, तथा PMJDY अथवा अन्य बैंक खातों के अन्तर्गत उत्तराधिकारी नामित करना आदि को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के सभी वंचित व्यक्तियों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित किया जा सकें।

उक्त राज्य स्तरीय अभियानों के अन्तर्गत "राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान-2025" से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन किया जावेगा, जिनके सफल क्रियान्वयन हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत समस्त संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को एतद् द्वारा पुनः नामित किया जाता है।

अतः समस्त जिला / ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त राज्य स्तरीय अभियानों में "राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान-2025" से संबंधित समस्त गतिविधियों के सतत् कियान्वयन कराने हेतु जिला स्तरीय अधिकारीगण, जिला अग्रणी प्रबंधक एवं स्थानीय बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त कैम्पों में इन गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेगें तथा कैम्पों के तहत अर्जित दैनिक प्रगति की राज्य-स्तरीय पोर्टल पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेगें।

sd /
(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयोजना (संस्थागत-वित्त) विभाग

क्रमांक प. 25(20)/आयो/सं.वि./2023 **दिनांक : 30.06.2025**

-: आदेश :-

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक एक देशव्यापी विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत वर्तमान निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन (ReKYC) किया जाएगा तथा नए खाते खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त अभियान के सफल संचालन हेतु जिला अग्रणी प्रबंधक को सभी बैंकों के साथ समन्वय, पर्यवेक्षण, शिविरों का निरीक्षण करने तथा प्रगति की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। इस कार्य में सहयोग हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक / ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को एतद् द्वारा नामित किया जाता है।

उक्त जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस अभियान के सफल संचालन हेतु जिला अग्रणी प्रबंधक, सभी बैंकों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे और जिला / ब्लॉक स्तर पर अभियान की समग्र निगरानी करेंगे।

साथ ही, नामित अधिकारीगण अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों का निरीक्षण करेंगे तथा जिला स्तरीय अधिकारी अपने जिले की संबंधित जानकारी / प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर आयोजना (संस्थागत वित्त) विभाग को प्रेषित करेंगे।

sd /
(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, संतृप्ति अभियान, राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा।
5. समस्त जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

sd /
(सी. पी. मण्डावरिया)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : एफ 5() सीटीएडी/विविध/ DA JGUA/2024-25/04646 **दिनांक : 28.08.2025**

जिला कलक्टर,
अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी,
चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर,
झालावाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद,
सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, सलूम्बर एवं उदयपुर।

विषय :- आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदि कर्मयोगी अभियान अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है-

1. समस्त जिलों में जिला प्रोसेस लैब (DPLS) दिनांक 07 सितम्बर 2025 तक व ब्लॉक प्रोसेस लेब (BPLS) दिनांक 15 सितम्बर 2025 तक आयोजित करायी जानी है।
2. प्रत्येक ग्राम स्तर पर Village Vision Plan 30 सितम्बर, 2025 तक तैयार कर 02 अक्टूबर, 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाना है।
3. अभियान हेतु संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार संबंधित ब्लॉक के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति, उस पंचायत समिति के लिए नोडल अधिकारी रहेंगें तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में चयनित गांव के लिए उस ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, पशुधन परिचर, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रधानाध्यापक इत्यादि में से किसी एक कर्मचारी को आदि कर्मयोगी बनाते हुए उस गांव का ग्राम नोडल प्रभारी नियुक्त किया जावे। उपरोक्तानुसार जिला नोडल, ब्लॉक नोडल एवं ग्राम नोडल आदि कर्मयोगियों का नाम, मोबाइल नं. एवं ईमेल सहित आदि कर्मयोगी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. जिला प्रोसेस लैब (DPL) से पूर्व एक दिवसीय जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन 4 सितंबर से पहले कराया जाना है।
5. जिला स्तर पर एनजीओ का चयन करें, जो इस अभियान की जिला स्तरीय मॉनिटरिंग में सहयोग करेंगे, साथ ही प्रत्येक ब्लॉक के लिए भी एनजीओ के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ब्लॉक एनजीओ के रूप में मनोनीत करें तथा 15 ग्रामों के बीच बनने वाले 1 कलस्टर की मेपिंग करते हुए प्रत्येक कलस्टर के लिए भी एनजीओ के व्यक्ति का नाम तय करें, क्योंकि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एवं कलस्टर में स्थित 15 गांवों में प्रत्येक गांव के लिए Village Vision Plan बनाने में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। अतः एनजीओ का मनोनयन प्रत्येक स्तर पर करते हुए सूचना आदि कर्मयोगी पोर्टल पर अपलोड करें।
6. प्रत्येक गांव में एक सरकारी संस्थान को आदि सेवा केन्द्र के रूप में अधिसूचित किया जाना-आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य भविष्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलने वाली विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करना है तथा उस ग्राम में स्थित समस्त आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी की प्रत्येक माह सेवा केन्द्र में बैठक किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें गांव के ग्राम नोडल आदि

कर्मी को सेवा केन्द्र का इन्चार्ज बनाया जाये और यह आदि कर्मयोगी उस गांव की आबादी में रहने वाले जनजातियों की योजनाओं से संबंधित आवेदन करवायें एवं ब्लॉक स्तर पर होने वाली मॉनिटरिंग में उस गांव से संबंधित सेवा केन्द्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को पहुंचाकर समस्या का समाधान करवाये। आदि सेवा केन्द्र के रूप में उदाहरण के तहत ग्राम में स्थित अटल सेवा केन्द्र को बनाया जा सकता है, जिस ग्राम में अटल सेवा केन्द्र नहीं है वहां आंगनवाड़ी केन्द्र, पटवार भवन, स्थानीय स्कूल, ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा कोई भी उपलब्ध सरकारी भवन को उस गांव का आदि सेवा केन्द्र बनाया जाना सुनिश्चित करें।

7. धरती आबा योजना में चयनित समस्त ग्रामों में ग्राम स्तरीय आदि कर्मयोगी के रूप में ग्राम में स्थित निम्न कर्मचारियों को चिन्हित किया जावे-

1. ग्राम पंचायत का सचिव
2. ग्राम पंचायत का कलर्क
3. पटवारी
4. कृषि पर्यवेक्षक
5. स्थानीय स्कूल का प्रधानाध्यापक
6. एएनएम
7. आशा
8. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
9. साथिन
10. पशुधन सहायक
11. वनपाल
12. चुनाव हेतु चयनित बीएलओ. जीएसएस का व्यवस्थापक
14. पीएचईडी का कर्मचारी
15. बिजली का हेल्पर
16. आयुर्वेद कंपाउडर

आदि सहयोगी/आदि साथी उस ग्राम में स्थित ग्रामवासियों में से निम्न लोगों को आदि सहयोगी एवं आदि साथी के रूप में चिन्हित किया जावे -

1. गांव में स्थित रिटायर्ड अधिकारी / कर्मचारी
2. सरपंच एवं चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि (डायरेक्टर पंचायत समिति या डायरेक्टर जिला परिषद) जो भी उस गांव में निवासरत हो।
3. गांव में पंचायत के समस्त वार्ड पंच
4. राजीविका के तहत बनाये गये सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुखिया
5. ग्राम सहकारी सेवा समिति का अध्यक्ष
6. वन धन विकास केन्द्र का अध्यक्ष
7. फोरेस्ट राईट एक्ट के तहत गठित कमेटी का अध्यक्ष
8. गांव में स्थित राशन की दुकान चलाने वाला राशन डीलर
9. अगर गांव में ई-मित्र केन्द्र है, तो उसको संचालन करने वाला व्यक्ति
10. गांव में स्थित पूजनीय धार्मिक स्थल का पुजारी, जिसकी गांव में प्रतिष्ठा हो।
11. ट्राइबल गांव में मोहल्लावार पटेल अथवा उस मोहल्ले का मुखिया / गमेती प्रधान
12. टीएसपी एरिया के गांव में खेली जाने वाली गवरी का मुखिया
13. गत चुनाव में हारा हुआ सरपंच
14. गत चुनाव में हारा हुआ वार्ड पंच

उपरोक्तानुसार प्रत्येक गांव में कम से कम 20 व्यक्तियों का आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी के रूप में चयनित किया जाना है (अगर 20 से ज्यादा उपलब्ध है तो अच्छा माना जाएगा)।

गांव में बनने वाले Village Vision Plan / Village Dovelopment Plan के लिए उपरोक्त आदि सहयोगी, आदि साथी एवं आदि कर्मयोगी मिलकर अपना योगदान देंगे। धरातल के स्तर पर जो अंतर रह गया है, उसके बारे में सुझाव देंगे। धरती आबा योजना के तहत जो भी कार्य उस गांव में कराये जाएंगे उनके लिए इन 20 लोगों का सहयोग लिया जाएगा। इन सभी का आदि कर्मयोगी पोर्टल पर नाम, मोबाइल नम्बर लिखते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाना सुनिश्चित करें। उस ग्राम के लिए जिस कर्मचारी को आदि कर्मयोगी नोडल प्रभारी बनाया जाए, वह कर्मचारी इन सबके सहयोग से प्रति माह एक बैठक आदि सेवा केन्द्र पर अवश्य करें और जो Village Dovelopment Plan बनाया जा रहा है, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करें।

अतः प्रासंगिक पत्रों में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में उक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें ।

sd/
(कुंजी लाल मीणा)
अति. मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

एफ.97 खा.वि./पी.डी.एस. / 2025 **दिनांक : 10.09.2025**

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
समस्त जिला रसद अधिकारी राजस्थान ।

विषयः- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18 सितम्बर, 2025 से आयोजित किये जाने वाले "गांव चलो अभियान" के अंतर्गत खाद्य विभाग से संबंधित कार्ययोजना के संबंध में।

राज्यभर में दिनांक 18 सितम्बर, 2025 से "गाँव चलो अभियान" सप्ताह के प्रत्येक गुरूवार, शुक्रवार एवं शनिवार को प्रत्येक दिवस में दो ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाना है, जो प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित होने तक संचालित होंगे। प्रत्येक शिविर हेतु संबंधित जिला कलक्टर द्वारा शिविर प्रभारी एवं सहायक शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। इन शिविरों के अन्तर्गत खाद्य विभाग की 03 गतिविधियों को शामिल किया गया है। जिलों में उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु जिला रसद अधिकारियो को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जिला कलक्टर के निर्देशन में कार्य करेंगे।

जिला कलक्टर द्वारा जारी कैलेण्डर के अनुरूप जिला रसद अधिकारी ग्राम पंचायतवार प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों एवं ग्राम स्तरीय कमेटी के साथ समन्वय स्थापित कर शिविर से 03 दिवस पूर्व अग्रिम दल के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे एवं NFSA के अन्तर्गत RRCC पोर्टल 2025 पर लंबित आवेदनों की सूची को डीएसओ / एसडीओ / बीडीओ लॉगिन से प्राप्त कर अग्रिम दल को उपलब्ध करवायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम दल (ग्राम स्तरीय कमेटी) द्वारा कैम्प दिवस तक आवेदनों की जांच कर भौतिक सत्यापन कर पूर्ण कर लिया जावें।

शिविर दिनांक को प्रभारी अधिकारी ग्राम स्तरीय कमेटी के सदस्यों एवं उचित मूल्य दुकानदारों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त लंबित आवेदनों की जांच रिपोर्ट संबंधित विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त कार्यों के सफल संचालन हेतु शिविर प्रभारी जनप्रतिनिधियों / स्वयंसेवकों के सहयोग से कार्य संपादित करेंगे एवं संबंधित आवेदकों / लाभार्थियों को इस बाबत पूर्व सूचना एवं शिविर में भाग लेने हेतु प्रचार-प्रसार करेंगे एवं उपखण्ड अधिकारियों से समन्वय कर कैम्प दिवस को समस्त लंबित आवेदनों के निस्तारण संबंधी कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में संपूर्ण व्यवस्था हेतु संबंधित जिला रसद अधिकारी, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे जो अग्रिम दल कार्य से लेकर कैम्प समाप्ति पश्चात् दैनिकप्रगति प्रतिवेदन संबंधित शिविर प्रभारियों को प्रस्तुत करने तक की कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे तथा इस हेतु जिला स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन कर इसकी सूचना विभागीय मुख्यालय को भिजवायेंगे। संबंधित जिला रसद अधिकारी कैम्प समाप्ति पश्चात् जिले की इकजाई सूचना प्रति कैम्पवार का मिलान विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध सूचना से किए जाने के पश्चात् विभागीय मुख्यालय की ई-मेल आई.डी. dcfood-rj@nic.in पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि शिविर प्रभारी को प्रस्तुत सूचना एवं ऑनलाईन रिफ्लेक्ट होने वाली सूचना में कोई अन्तर नहीं हो।

खाद्य विभाग द्वारा उक्त शिविरों में संपादित किये जाने वाले कार्यों की कार्य-योजना निम्न प्रकार है:-

1. **NFSA अन्तर्गत RRCC पोर्टल 2025 पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करना :** संबंधित कैम्प प्रभारी RRCC पोर्टल 2025 पर लंबित आवेदनों की सूची डीएसओ / एसडीओ / बीडीओ से प्राप्त कर अग्रिम दल को उपलब्ध करवायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम दल (ग्राम स्तरीय कमेटी) द्वारा कैम्प दिवस तक समस्त लंबित आवेदनों की जांच कर भौतिक सत्यापन पूर्ण किया जाकर मौके पर ही संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को अपलोड हेतु भौतिक रूप से प्रस्तुत कर दी गई है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड कर वास्ते निर्णय संबंधित उपखण्ड अधिकारी को भेजा जाएगा। उपखण्ड अधिकारी मौके पर रिपोर्ट का परीक्षण कर जांच रिपोर्ट के आधार पर समस्त लंबित आवेदनों का निस्तारण करेंगे।

2. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल पात्र परिवार / सदस्यों की आधार सीडिंग करना :** NFSA पात्र परिवार / सदस्यों के आधार सीडिंग जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी / अधिशाषी अधिकारी / प्रवर्तन अधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की जा सकती है, परंतु वर्तमान में खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की पोस मशीन पर आधार सीडिंग का प्रावधान उपलब्ध करवाया हुआ है। इस हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त उचित मूल्य दुकानदार अग्रिम दल / कैम्प के दौरान उपस्थित रहकर आधार सीडिंग का कार्य करेंगे।

   विभागीय पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध आधार सीडिंग के लिंक "आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी आई.डी. मैपिंग का स्टेटस जानें" के प्रावधानानुसार उपभोक्ता द्वारा स्वयं भी मौके पर कैम्प के दौरान आधार सीडिंग कर सकता है, इसकी जागरूकता बाबत अग्रिम कैम्प में प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं कैम्प दिवस को भी उक्त लिंक का डिस्पले सहज स्थल पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. **NFSA परिवारो/ सदस्यों की ई-केवाईसी करना :** आधार सीडिंग के उपरान्त लाभार्थी उचित मूल्य दुकानदार के पास उपलब्ध ई-पोस मशीन पर दिए गये प्रावधान के तहत बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी करवायेगा। इस बाबत ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कैम्प के दौरान उपस्थित रहकर ई-केवाईसी की जाएगी साथ ही शिविर प्रभारी सुनिश्चित करेंगे किअग्रिम दल के कार्य के दौरान समस्त उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित रहकर अधिकाधिक लाभार्थियों की ई-पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करेंगे।

"गांव चलो अभियान" के पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु खाद्य विभाग के स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें श्री ब्रह्मलाल जाट उपायुक्त एवं उपशासन सचिव राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, मोन 9414314312, श्री रविन्द्र कुमार जैन एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज्य स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी, मो.न. 9352676994 श्री बिरजू कोली, प्रोग्रामर, राज्य स्तरीय तकनीकी सहायक नोडल अधिकारी मो.न. 9982896125 होंगे । अभियान के दौरान अभियान से संबंधित जानकारी के लिए राज्यस्तरीय हेल्पलाईन नंबर 0141-2927171 अथवा सबंधित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी से संपर्क करें।

Sd/

(पूनम प्रसाद सागर)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकःसान्याअवि/योजना/अभियान-2025/ **जयपुर, दिनांकः 06.09.2025**

1. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान ।
2. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान ।

विषयः-शहर चलो अभियान / गांव चलो अभियान 2025 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार कैम्प आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं :-

1. 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक- शहर चलो अभियान
2. 19 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक- गांव चलो अभियान 2025 - प्रति शुक्रवार / प्रत्येक पंचायत समिति में 02 ग्राम पंचायत

उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित निम्न योजनाओं का लाभ आमजन को प्रदान किया जाना है।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- पालनहार योजना
- मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना
- छात्रावास
- विशेष योग्यजनडी.आई.डी.यू-

उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर व्यापक निर्देश जारी किये गये हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को प्राप्त हो, इसके लिए शहर चलो अभियान / गांव चलो अभियान 2025 के माध्यम से उपरोक्त योजनाओं के संबंध में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि विभाग की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक आमजन को प्रदान किया जा सके।

इस अवसर का अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु योजनाओं से संबंधित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर जोड़ना।
2. जो लाभार्थी पहले से ही चिन्हित हैं परन्तु किसी कारण से योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं (सूचियां संलग्न), उनकी समस्याओं का समाधान कर लाभ दिलाना।

A. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

- इस अभियान की अवधि में शहरी क्षेत्रों के असत्यापित पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन को सुनिश्चित किए जाने के लिए समुचित प्रयास किया जाना पेंशन पोर्टल पर सभी पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों के लॉगइन पर सभी असत्यापित पेंशनर्स की वार्ड वार ग्राम पंचायत वार सूची उपलब्ध है। ऐसे सभी / घर जाकर व्यक्तिशः सम्पर्क कर उनके वार्षिक सत्यापन को सुनिश्चित किया जाए तथा -नर्स से घरपेंश यदि कोई पेंशनर पेंशन के लिए अपात्र हो गया है तो उसकी पेंशन को नियमानुसार निरस्त करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए मोबाइल एप्प का भी उपयोग किया

जा सकता है अथवा फील्ड कार्मिकों द्वारा सूची में टिप्पणी अंकित करने के उपरान्त संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त ऐसे पेंशनर्स का सत्यापन किया जा सकता है।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र व्यक्तियों द्वारा ईमित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा मोबाइल -एप्प से बॉयोमैट्रिक सत्यापन के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन व्यक्ति तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को यदि उपर्युक्त तरीकों से आवेदन करने में कठिनाई हो रही है तो उनके द्वारा संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उप) से सम्पर्क कर उनके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (ब्लॉक विकास अधिकारी / खण्ड अधिकारी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित कर उनका सत्यापन किया जाता है।

B. पालनहार योजना

पालनहार योजना में निम्नानुसार लाभार्थियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेः-

- पालनहार योजना हेतु पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण किया जावे।
- विशेष रूप सेअनाथ श्रेणी एवं विधवा के बच्चों के साथसाथ विशेष योग्यजन-, एड्स पीडित, सिलिकोसिस पीड़ित, तलाकशुदाक्ता के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाये। इनकी सूची का परित्य/-अद्यतन कार्य अभियान2025 में किया जावें।
- पालनहार योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु वार्षिक नवीनीकरण से लंबित पात्र (सत्यापन) बच्चों का शत प्रतिशत सत्यापन करवाया जावे।

C. मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना

- विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों, जिनके पास स्वयं के पास पक्के मकान नहीं है, उनको मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का निर्माण हेतु अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवाकर स्थाई रूप से आवास उपलब्ध करवाना।
- विभाग के पोर्टल पर प्राप्त सभी नवीन आवेदनों की स्वीकृतियां जारी करवाकर, उनका भुगतान करवाया जाना।
- विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को डीएनटी समुदाय का पहचान प्रमाणपत्र -जारी करवाना, ताकि डीएनटी समुदाय द्वारा केन्द्र, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।

D. छात्रावास योजना

राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले अभियानों में छात्रावासों से संबंधित बिन्दु-

- विभागीय छात्रावासों में विद्यार्थियों की क्षमता के विरूद्ध अधिकाधिक प्रवेश अभियान चलाकर समस्त छात्रावासों में प्रवेशित संख्या को अधिकाधिक करना।
- छात्रावास भवन एवं परिसर में साफसफाई।-
- छात्रावास परिसर में वृक्षारोपण करना।

E. विशेष योग्यजन के प्रमाण पत्र (Disability Certificate-UDID) जारी करवाकर लाभ दिलवानाः-

- यूडीआईडी योजना पूरे देश में दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजन व्यक्तियों को दिव्यांगजन प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र)UNIQUE DISABILITY ID CARD) जारी किए जाते हैं।

- दिव्यांगजन व्यक्तियों को सरकारी लाभ पहुंचाने की प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता को प्रोत्साहित करना है।
- प्रार्थी भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल पर स्वयं अथवा ईमित्र के माध्यम से आवेदन करता है। - आवेदन के दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी (ISSUING AUTHORITY) स्तर पर करके संबंधित दिव्यांगता की जांच हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक के पास भेजा जाता है। मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जांच उपरांत अधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऑनलाईन दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी जारी किया जाता है।
- इस अभियान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभागीय अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगे।

उपरोक्तानुसार योजनाओं से संबंधित सूचियों को विभागीय जिला अधिकारियों को संबंधित शाखा प्रभारियों द्वारा जरिये ई-मेल उपलब्ध कराया जा रहा है व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जा रहा है।

अभियान-2025 में विभागीय समस्त गतिविधि / कार्यवाही हेतु राज्य स्तर पर श्री केसरलाल मीणा, अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता एवं प्रशासन मो.न.-9414000317 को नोडल अधिकारी एवं श्री सूण्डाराम मीणा, अतिरिक्त निदेशक, योजना (मो.न.-9414406083) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। साथ ही समस्त ब्लॉक / पंचायत समिति स्तरीय कैम्पों के लिए विभागीय जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Sd/
(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ 11 (3) ग्रा.से.शि. / आईसीडीएस / 2025 / **जयपुर, दिनांक : 10.09.2025**

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त

विषयः- ग्रामीण सेवा शिविरों में की जाने वाली विभागीय गतिविधियों बाबत दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के कम में लेख है कि राज्य में राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण सेवा शिविरों का दिनांक 17.09.2025 से आयोजित किये जाने है। जिसमें प्रथम सप्ताह में दिनांक 17, 18, 19 एवं 20 सितम्बर को प्रत्येक दिवस दो ग्राम पंचायतों में एवं शेष अभियान अविधि के दौरान सप्ताह के प्रत्येंक गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को प्रत्येक दिवस 02 ग्राम पंचायतों में राजस्व विभाग द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लाभार्थियों को पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन पर दर्ज कर FRS करते हुए PMMVY Soft पोर्टल पर दर्ज करने एवं अनुमोदित करने का कार्य किया जाना है ताकि इन्हें योजनान्तर्गत DBT लाभ दिया जा सके। शिविर में गर्भवती / धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना एवं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस हेतु शिविर पूर्व/शिविर स्थल पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. शिविर पूर्व तैयारी-

शिविर से पूर्व ग्राम पंचायत के समस्त पात्र गर्भवती महिलाओं को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा चिन्हित कर पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त उनका FRS एवं e-KYC किया जाना है। महिला पर्यवेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त पात्र गर्भवती महिलाओं का आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण ट्रेकर पर रजिस्ट्रेशन, उनका FRS एवं e-KYC कर लिया गया है।

2. शिविरों में कार्यवाही-

अ. आंगनबाडी कार्यकर्ता के PMMVY Soft पोर्टल पर प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन पर पंजीकृत किये गये लाभार्थी प्रदर्शित होने पर समस्त लाभार्थियों की शेष एन्ट्री करते हुए महिला पर्यवेक्षक को सत्यापन हेतु अग्रेषित किया जाना है। संबंधित महिला पर्यवेक्षक द्वारा समस्त लाभार्थियों को योजनान्तर्गत पात्रता के अनुसार अनुमोदन दिया जाना है।

ब. शिविर के दौरान पोषण ट्रेकर पर FRS एवं e-KYC से शेष रहे अन्य लाभार्थी वर्गो के लाभार्थियों का FRS एवं e-KYC का कार्य भी पूर्ण किया जाना है। शिविर के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के समस्त पात्र लाभार्थियों का पोषण ट्रेकर पर पंजीकरण कर FRS एवं e-KYC किया जाना सुनिश्चित करेगें।

स. शिविर के दौरान आईसीडीएस सामान्य के अन्तर्गत दी जा रही विभागीय छः सेवाओं के साथ प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना एवं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करेगे।

प्रत्येक शिविर हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी विभागी प्रतिनिधि होंगे, उनके नहीं होने की स्थिति में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा महिला पर्यवेक्षक को विभागीय प्रतिनिधि नामित किया जायेगा। शिविर में यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना एवं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस हेतु PCTS पर दर्ज नहीं किये गये मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा विभाग से समन्वय कर PCTS पर दर्ज किया जाना सुनियिचत करावें। शिविर उपरांत निर्धारित प्रपत्र में शिविर प्रभारी को शिविर की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा अभियान की पोर्टल पर सूचना अपलोड करायेंगे। उप निदेशक द्वारा शिविरों का समय समय पर निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जायेगी।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों से प्रारूप-1 में रिपोर्ट प्राप्त कर प्रारूप-2 में संकलित कर प्रतिदिन प्रगति विभागीय ई-मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर सांय 7.00 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Sd/
(वासुदेव मालावत)
निदेशक

राजस्थान सरकार
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राज०

क्रमांकः एफ.18()/बीओसीडब्ल्यू/कैम्प/2025/ **दिनांक 10.09.2025**

संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त
एवं श्रम कल्याण अधिकारी,
समस्त ।

विषयः- ग्रामीण सेवा शिविर की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भवन एवं अन्य से निर्माण श्रमिक कर्मकार मंडल द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर दिनांक 17 सितम्बर, 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। उक्त अवधि में मंडल की निर्माण श्रमिक टूलकिट/औजार योजना को सम्मिलित किया गया है। अतः निर्देशानुसार टूलकिट/औजार योजना में उक्त अवधि में जिला प्रशासन के साथ संपर्क व समन्वय कर विभागीय भागीदारी सुनिश्चित कर मंडल की योजनाओ एवं पंजीयन की प्रचार प्रसार सामग्री के साथ जानकारी देते हुए टूलकिट/औजार योजना अंतर्गत अधिक से अधिक प्रगति किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त शिविरों में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग स्तर पर संयुक्त सचिव मंडल एवं जिला स्तर पर वरिष्ठतम जिला श्रम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। समस्त जिला कार्यालय दैनिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में दैनिक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

Sd/

(शिवदयन सोलंकी)
अति० श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव मण्डल

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ. 3(27)आ.प्र.एवं सहा./स्था./ग्रा.से.शि./2025 दिनांक : 14.09.2025

समस्त जिला कलक्टर (सहायता),
राजस्थान।

विषय : "ग्रामीण सेवा शिविर" के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित सम्पादित किये जान वाले कार्यो के सम्बन्ध में।

राज्यभर में दिनांक 17.09.2025 से ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाना है। ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है। अभियान की अवधि तब तक होगी जब तक कि प्रत्येक पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन ना हो जावें। जिला स्तर पर अभियान की तैयारी, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला कलक्टर (सहायता) की होगी।

उक्त शिविरो में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. **जनहानि, पशु हानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना :-** शिविरो में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओ से हुयी जनहानि, पशु हानि एवं मकानों के नुकसान होने पर भुगतान से शेष रहे प्रभावितो / परिजनों से विभागीय सॉफ्टवेयर (DMIS) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कराया जावे एवं शिविर स्थल पर ही आवेदन के सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जावे ।

2. **अधिसूचित** प्राकृतिक आपदाओ से जनहानि, पशु हानि एवं मकानों के नुकसान के DMIS पोर्टल के माध्यम से आवेदन किये जाने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावें एवं आवेदन की प्रक्रिया समझायी जावें।

शिविर के दौरान उक्तानुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करवाया जाना है। इसके अतिरिक्त विभागीय तौर पर राजस्थान सम्पर्क, सीएमआईएस पोर्टल, एमजेएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्तः प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना है। इसके लिए जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार अग्रिम कार्यदल बनाये जाकर पूर्व तैयारी की जाकर सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण करावें।

उक्त बिन्दुओं पर शिविर के दौरान त्वरित कार्यवाही कर आमजन के कार्यों का मौके पर ही निस्तारण करने की सुनिश्चिता की जावे। शिविरों में ई-मित्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु मेन-विद-मशीन की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करावें। उपयोग में आने वाले प्रपर आवेद्नः Signature Not Verified पत्र अन्य आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था शिविर आरम्भ से पूर्व ही कर ली जावे।

यह भी सुनिश्चित करे ले कि उक्त कार्यों के संबंध में नियमों, प्रावधानों, परिपत्रों व प्रक्रिया की समुचित जानकारी आपके अधीनस्थ पदस्थापितं समस्त अधिकारियों को है. जिससे प्रकरण निष्पादन में कोई समस्या नहीं आवे। शिविरों के सफल संचालन हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश दिनांक 03.09.2025 एवं 09.09.2025 को भी ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार की जावें।

जिला कलक्टर (सहायता) यह सुनिश्चित करें कि इस विभाग के सूचना प्रपत्र को राजस्व विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल में डेटा की प्रविष्टि शिविर दिवस को ही सांय 05.30 बजे तक करवाई जावें। साथ ही जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिवस को जिले में आयोजित शिविरों में से चयनित एवं गुणवत्तापूर्वक फोटोग्राफ व न्यूनतम 02 सफलता की कहानी को भी उक्त पोर्टल पर अपडेट करवायी जाए। अभियान के दौरान किये गये कार्यों एवं सफलता की कहानियों का मीडिया कवरेज व विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जायें एवं उक्त अभियान हेतु जिला स्तरीय सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार करवाया जायें। साथ ही संलग्न प्रपत्र में सूचना मय सॉफ्टकॉपी विभागीय ईमेल आईडी पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सहायक शासन सचिव, आर.ए.एस. को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर को राज्य स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

अधिकारी का नाम	पदनाम	एसएसओ आईडी	मोबाईल नम्बर
डॉ. प्रीति सिंह पंवार, आरए.एस. (नोडल अधिकारी)	सहायक शासन सचिव	**RJJP200117005773**	**9783805921**
श्री रवीन्द्र कुमार नामा (तकनीकी नोडल अधिकारी)	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	**RJJP201319007819**	**9602823987**

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी सम्बन्धित अतिरिक्त जिला कलक्टर (सहायता) होंगे। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जावें। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर (सहायता) द्वारा पृथक से आदेश जारी कर विभागीय ईमेल relief-rj@nic.in पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः- एफ-40/मुअजसं / पीएम/प्र.गा.के.स/339 **दिनांक : 10.09.2025**

<u>कार्यालय आदेश</u>

राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान 2025 (सेवा पखवाड़ा) एवं गांव चलो अभियान का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस अभियान के दौरान जल संसाधन विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते है:-

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारीः- मुख्य अभियंता राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण राजस्थान जयपुर

जिला स्तरीय नोडल अधिकारीः- जल संसाधन विभाग के संबंधित जिले के खंडीय अधिशाषी अभियंता।

मुख्य अभियंता राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण राजस्थान जयपुर (राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी) से निवेदन है कि राजस्व ग्रुप-5 विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जल संसाधन विभाग के संबंधित जिले के खंडीय अधिशाषी अभियंता के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के आदेश (मय नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, एसएसओ आई डी, मोबाईल न. सहित) स्वयं के स्तर पर जारी कर राजस्व (ग्रुप-5) विभाग एवं नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd/
(हरीश कुमार वासदानी)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

Office of the Chief Engineer,
Water Resources Department, Rajasthan

No.- F-40/CEWR/PM/ **Date -11.09.2025**

Director & Ex Officio Joint Secretary,
Watershed Development & Soil Conservation,
Pant Krishi Bhawan, Jaipur.

Subject- Reactivation of Vande Ganga Application and addition of Water Resources Department functionalities.

Regarding the above cited subject and the referred guidelines of Gaon Chalo Abhiyan (copy enclosed), a meeting has been held under the chairmanship of Additional Chief Secretary, WRD on 10.9.2025 in the meeting hall of IGNB, wherein officers of Water Resources Department, RRBA and Watershed Department were present.

As discussed, it is requested that during the Vande Ganga Abhiyan, the Application to capture the activities in the field, implemented by your department is to be reactivated during the Gaon Chalo Abhiyan to capture the functionalities of Water Resources Department. The activities require creation of events as mentioned below :

Activity	Events to be Created	Provisions in the Application
जल भराव क्षेत्रों का चिन्हित कर पंचायत से समन्वय कर निकासी की कार्य योजना तैयार करना	1 Makers will locate the spots of waterlogging 2 Checker will approve/Reject the spot 3 Approved spots will be forwarded to the executing team 4 Creation of Master Data and validations & Standardisation from Revenue Department directory	1 Creation the role of Makers and checkers 2 Provision of uploading photographs or short clips 3 Mapping of users of departments 4 Generation of various Reports
कॉज-वेबनाना, बाँधों की ऊँचाई बढाना एवं बाँधों के गेट लगाने के प्रस्ताव तैयार करना	1 Creation of all the Above provisions and 2 Directory of Dams (Drill down option), 3 Approach roads to Dams & 4 Roads Across the Rivers & Nallahs	1 Creation the role of Makers and checkers 2 Provision of uploading photographs or short clips 3 Mapping of users of departments 4 Generation of various Reports
पानी के निकासी मार्गों में अतिक्रमण चिन्हित करना	1 Capturing the spots with encroachment 2 Location Geotagging 3 Mapping of nearby WRD structure (Catchment/submergence/command) 4 Topographical map for location (auto fetch with Geotagging)	1 Creation the role of Makers and checkers 2 Provision of uploading photographs or short clips 3 Mapping of users of departments 4 Generation of various Reports
क्षतिग्रस्त बाँधों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार करना	1 Makers will locate the spots of waterlogging 2 Checker will approve/Reject the spot 3 Approved spots will be forwarded to the executing team	1 Creation the role of Makers and checkers 2 Provision of uploading photographs or short clips 3 Mapping of users of departments

	4 Creation of Master Data and validations & Standardisation from Revenue Department directory	4 Generation of various Reports
पंचायती राज विभाग से जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित 3236 बाँधों / तालाबों की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार हेतु योगदान	1 Creation of list of Dams & Tanks (Drill down option) 2 Radio Button list of kind of contributions 3 User interface for profile entries	1 Authentication mechanism through Aadhaar

Furthermore, the team of the DoIT&C is to be requested at your end to reactivate this application at the earliest and coordinate with the WRD team for creation of the above events in the application.

(Harish Kumar Vasdani)
Addl. Chief Engineer (Hq & It)

Copy submitted to the following for kind information please :-

1. PS to Addtional Chief Secretary, Water Resources Department, Jaipur.
2. PS to Principal Secretary, Revenue Department, Jaipur.
4. PS to Secretary, DoIT & C, Jaipur.
5. Chief Engineer, Rajasthan River Basin Authority, Jaipur.
6. Joint Secretary, Water Resources Department, Jaipur.
7. Dy. Chief Information Security Officer & SE(IT), WRD, Jaipur.

(Harish Kumar Vasdani)
Addl. Chief Engineer (Hq & It)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

सेवा पर्व पखवाड़ा

अन्तर्गत

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025

में राजस्व विभाग एवं
सहभागी विभागों द्वारा सूचना संकलन हेतु
निर्धारित प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट

प्रपत्र (Proforma)

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग

प्रपत्र - 1		
लंबित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाया जाना (ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार)		
	A	B
ग्राम पंचायत	पंजीयन किये गए आवेदनों की संख्या	स्वीकृत किये गए प्रकरणों की संख्या

प्रपत्र - 2		
किसान गिरदावरी ऐप		
	A	B
ग्राम पंचायत	कैम्प में आये कितने किसानों को गिरदावरी एप के बारे में जानकारी दी	कैम्प में आये कितने किसानों ने गिरदावरी एप डाउनलोड की
		B<=A

प्रपत्र - 3

केवल उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर न्यायालय के लंबित नोटिस की तामील की सूचना भरी जानी है (जिला मुख्यालय से)

District	Court Type	Court Name	Notices Served today
auto selected	select	select	

प्रपत्र - 4

कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना

	A	B	C
ग्राम पंचायत	कुल लम्बित प्रकरण	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	शेष लम्बित प्रकरण
			C= A-B
			auto calc

प्रपत्र - 5

आपसी सहमति से विभाजन से संबंधित लंबित प्रकरणों का निस्तारण (अपना खाता पोर्टल के अनुसार)

	A	B	C
ग्राम पंचायत	कुल लम्बित आवेदन	निस्तारित आवेदन/प्रकरण	शेष लम्बित प्रकरण
			C= A-B (auto calculated)

प्रपत्र - 6

लंबित नामान्तकरणों का निस्तारण (अपना खाता पोर्टल के अनुसार)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ग्राम पंचायत	स्वतः नामान्तकरण से शेष रहे लम्बित नामान्तकरण	राज0 भू0 राज0 अधि0 1956 की धारा 135 (2) के लंबित नामान्तकरण	उक्त के अतिरिक्त शेष रहे सभी लंबित नामान्तकरण	स्वतः नामान्तकरण से शेष रहे लंबित नामान्तकरण में से निस्तारित	राज0 भू0 राज0 अधि0 1956 की धारा 135 (2) से शेष रहे लम्बित नामान्तकरण में से निस्तारित	उक्त के अतिरिक्त शेष रहे सभी लंबित नामान्तकरण में से निस्तारित	स्वतः नामान्तकरण से शेष रहे नामान्तकरण	राज0 भू0राज0अधि0 1956 की धारा 135(2) के अतिरिक्त के शेष रहे नामान्तकरण	उक्त के अतिरिक्त शेष रहे नामान्तकरण
							G=A-D	H= B-E	I= C-F
							auto calculated		

प्रपत्र - 7

मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आवेदनों का निस्तारण (ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार)

	A	B
ग्राम पंचायत	कुल जारी मूल निवास प्रमाण पत्र	कुल जारी जाति प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रपत्र - 8		
भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रकरण		
ग्राम पंचायत	शुद्धिकरण के प्राप्त प्रकरण	निस्तारित किये गए प्रकरण

प्रपत्र - 9		
लंबित गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करना		
प्राप्त प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	रकबा(हेक्टेयर में)
नोट : रकबा हेक्टेयर में दर्ज करें जो दशमलव संख्या में भी हो सकता है		

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

1. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10000 और गावं में बीपीएल परिवारों का सर्वे

क्र.सं.	पंचायत का नाम	चयनित गांव का नाम	चयनित बीपीएल परिवारों की संख्या	सर्वे किये गये बीपीएल परिवारों की संख्या

नोट :- क्या उक्त ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के तहत गाँव का चयन किया गया है :- हाँ या नहीं ( ) यदि हाँ तो यह प्रपत्र भरा जायेगा

2. विधायक, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा क्षेत्रीय विवकास कार्यक्रम (जैस डांग/मगरा/मेवात इत्यादि) के तहत उपलब्ध राशि के माध्यम से स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृतियां एवं कार्य

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत का नाम	स्कूलों इत्यादि की मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रपत्र - 1														
	स्वामित्व योजना					स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)								
ग्राम पंचायत	अभियान अवधि में सत्यापन (Ground Truthing) कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) को लौटाये गए MAP-1 के ग्रामों की संख्या	अभियान अवधि में स्वामित्व कार्ड वितरण प्रारंभ किये गए MAP-2 के ग्रामों की संख्या	अभियान अवधि में वितरित स्वामित्व कार्ड (प्रोपर्टी पार्सल) की संख्या		कुल वितरित किये गये स्वामित्व कार्ड/पट्टा की संख्या	शिविर के दौरान IHHL के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	शिविर के दौरान IHHL की जारी स्वीकृतियों की संख्या	शिविर के दौरान नवीन स्वीकृत सामुदायिक शौचालयों की जारी स्वीकृतियों की संख्या	शिविर के दौरान पूर्व में बने अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों में से क्रियाशील बनाये गये सामुदायिक शौचालयों की संख्या	शिविर के दौरान सोक पिट/मैजिक पिट/लीच पिट की जारी स्वीकृतियों की संख्या	शिविर के दौरान घर-घर कचरा संग्रहण के लम्बित जारी किये गये कार्यादेश (यदि कोई हों) की संख्या	शिविर के दौरान घर-घर कचरा संग्रहण के व्यवस्था हेतु किये गये भौतिक निरीक्षण की संख्या	शिविर के दौरान भूमि आवंटन किये गये RRC केन्द्रों की संख्या	शिविर के दौरान RRC केन्द्रों हेतु जारी स्वीकृतियों की संख्या
			पुराने पट्टे के साथ	नये पट्टे के साथ										
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र - 2

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

		महिला	पुरुष	योग
ग्राम पंचायत	श्रमिक			
	पथ विक्रेता (street vendor)			
	लोक कलाकार			
	महायोग			

राजस्थान सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

वृक्षारोपण कार्यक्रम	
ग्राम पंचायत का नाम	वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगाए गए पौधो की संख्या

वृक्षारोपण हेतु नमो वन / नमो पार्क के लिए भूमि की चिन्हिकरण करना (जैसे सरकारी भूमि/गोचर/चारागाह आदि)					
गाँव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला	चिन्हित भूमि का विवरण		चिन्हित खसरे में से प्रस्तावित रकबा व किस्म		विशेष विवरण
	खसरा नं.	क्षेत्रफल (है. में)	रकबा (है. में)	किस्म	

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग					
क्र.सं.	विषय	विवरण	संख्या		
			M	F	T
1	उपचार	शिविर में उपचारित किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या			
2	एनसीडी स्क्रीनिंग	30 वर्ष से अधिक आयु के शिविर में एनसीडी (बी.पी, शुगर) स्क्रीनिंग की गई व्यक्तियों की संख्या			
		संभावित बी.पी, शुगर के रोगियों की संख्या			
3	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	प्रसव पूर्व जांच की गई गर्भवती महिलाओं की संख्या	disable		
		ओरल, ब्रेस्ट, सवाईकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई महिलाओं की संख्या	disable		
		सिकल सैल रोग की स्क्रीनिंग की गई महिलाओं की संख्या (ट्राइबल एरिया)	disable		
		टीकाकरण किये गए कुल बच्चों की संख्या			
4	टीबी मुक्त भारत अभियान	टी.बी रोग हेतु स्क्रीनिंग किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या			
		शिविर में बनाए गए निक्षय मित्र की संख्या			
		शिविर में वितरित किए गए पोषण किट की संख्या			
5	पीएमजेवाई	शिविर में पीएमजेवाई केवाईसी किए गए			
		शिविर में पीएमजेवाई कार्ड वितरित किए गए			

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग							
ग्राम पंचायत	रोगी पशुओ की चिकित्सा		एफ.एम.डी.रोग प्रतिरोधक टीकाकरण	कृमिनाशक औषधि पिलाना	दवा का छिड़काव	मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत वितरित बीमा पॉलिसियों की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या
	बड़े पशु	छोटे पशु					

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग											
ग्राम पंचायत	शिविर में किये जाने वाले कार्यों/ प्रकरणों का विवरण	विद्युत सप्लाई में व्यवधान सम्बन्धी समस्याएं निपटारा	त्रुटिपूर्ण मीटर सम्बन्धी समस्याएं निपटारा	जले हुए ट्रांसफर्मर को बदलने में विलम्ब सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण	मौके पर जमीन पर रखे ट्रांसफर्मर को यथास्थान रखना	बिजली के ढीले तारों एवं खम्भों को व्यवस्थित करने सम्बन्धी	विद्युत सम्बन्ध जारी होने व विच्छेद होने से विलम्ब से सम्बंधित समस्याओं का निपटारा	मांग पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देना	लोड सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा	त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्र जारी होने व देरी सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा	कुल योग
	प्राप्त प्रकरण										
	निस्तारित प्रकरण										
	शेष प्रकरण										

राजस्थान सरकार
कृषि विभाग

कृषि विभाग					
बीज मिनिकिट वितरण एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना					
ग्राम पंचायत	मिनी किट से लाभान्वित कृषकों की संख्या				वितरित प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी की संख्या
	सामान्य	अजा	अजजा	कुल	

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

आयोजना (संस्थागत-वित्त) विभाग													
Gram Panchayat :						Name of District :							
PMJDY Sourced	PMJDY Opened	PMJJBY Sourced	PMJJBY Enrolled	PMSBY Sourced	PMSBY Enrolled	APY Sourced	APY Subscribed	No. of ReKYC done for PMJDY Acc	No. of Re-KYC done for Other than PMJDY Acc	No. of PMJJBY Claim Disbursed	No. of PMSBY Claim Disbursed	No. of Nominations done in PMJDY Acc	No. of Nominations done other than PMJDY Acc

आयोजना (संस्थागत-वित्त) विभाग			
जन आधार योजना			
ग्राम पंचायत	नवीन नामांकित परिवारों की संख्या	जोड़े गए सदस्यों की संख्या	किये गए अद्यतन/ संशोधन की संख्या

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

आदि कर्मयोगी अभियान									
ग्राम पंचायत	20 आदि कर्मयोगी/आदि साथियों का चयन कर लिया गया है	सरकारी भवन नाम, जिसका चिन्हीकरण "आदि सेवा केन्द्र" के रूप में किया है	"आदि सेवा केन्द्र" के हेतु चिन्हित प्रभारी का नाम	अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु व्यक्तिगत लाभ के कार्य					
	यदि हाँ, तो चयनित आदि कर्मयोगी/आदि साथियों की संख्या			PM आवास योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जल कनेक्शन के प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	एफआरए पट्टों के प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	आयुष्मान कार्ड वितरण संख्या	प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हेतु आवेदन पत्रों की संख्या

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

NFSA परिवारों/सदस्यों की e-kyc करना		
ई-केवाईसी हेतु लक्षित कुल यूनिट	ई-केवाईसी की गई यूनिट्स की संख्या	ई-केवाईसी से शेष यूनिट्स
		auto

NFSA राशन कार्ड धारक परिवारों की एलपीजी आईडी मैप करना			
कुल NFSA राशनकार्ड	एलपीजी आईडी मैप हेतु चिन्हित/प्राप्त राशनकार्ड	एलपीजी आईडी मैप किये गए राशनकार्डो की संख्या	एलपीजी आईडी मैपिंग से शेष राशनकार्ड
A	B	C	Auto(B-C)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

SAP यूडीआईडी कार्ड				
शिविर मे प्राप्त आवेदन	शिविरों के दौरान जारी यूडीआईडी कार्ड	आक्षेपित आवेदन	निरस्त आवेदन	लंबित आवेदन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन		
वार्षिक सत्यापित पेंशनर्स की संख्या	निरस्त किए गए अपात्र पेंशनर्स	70 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों अथवा विशेष योग्य जनों के ऑनलाइन किए गए आवेदन

पालनहार		
पालनहार योजना में चिन्हित किये गये आवेदनों की संख्या	पालनहार योजना में जोडे गये नवीन आवेदनों की संख्या	पालनहार योजना में नवीनी करण (सत्यापन) करवाने वाले बच्चों की संख्या

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

SAP संयुक्त सहायता (आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण)	
वितरित उपकरणों की संख्या	Name of Equipments (कृत्रिम अंग/उपकरण)

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना		
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में चिन्हित किये गये आवेदनों की संख्या	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ			
Activity - समेकित बाल विकास सेवाएँ			
शिविर ग्राम पंचायत	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अंतर्गत पंजीकृत किये गये कुल लाभार्थियों की संख्या	पोषण ट्रेकर पर FRS एवं e-KYC किये गये कुल लाभार्थियों की संख्या	विभागीय योजनाओं की जानकारी से अवगत कराये गये लोगो की संख्या

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

Dept - श्रम विभाग (Note- प्रपत्र जिला वार भरा जाएगा)			
Activity - टूलकिट/औजार सहायता योजना			
जिला	पंजीयन योजनाओं में जागरूक किए गए लोगों की संख्या	टूलकिट में स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रूपये में)

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

जनहानि, पशुहानि एवं मकानों के नुकसान के आवेदन एवं स्वीकृति की स्थिति																
ग्राम पंचायत	जनहानि				पशु हानि				आवासीय क्षति / नुकसान							
	मृतक		घायल		छोटे पशु		बडे पशु		कच्चे मकान		पक्के मकान		झोपडे		पशु बाडा	
	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग							
ग्राम पंचायत	जल भराव के क्षेत्रों को चिन्हित करना एवं कार्य योजना तैयार करना	कॉज़-वे के प्रस्ताव	बांध की ऊँचाई बढ़ाने के प्रस्ताव	बांध के गेट लगाने का प्रस्ताव	पानी की निकासी मार्ग में अतिक्रमण चिन्हित करना	क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करना	बांधो/नहरों/तालाबों की मरम्मत हेतु जन सहयोग के प्रस्ताव
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025

State Level Nodal officers List

क्र.सं.	विभाग का नाम	नाम/पदनाम नोडल अधिकारी	मोबाईल नं.
1	राजस्व विभाग	श्री हरि सिंह मीना, उप शासन सचिव	9414056825
2	पशुपालन विभाग	डॉ. जुगल किशोर मिश्रा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	9414518771
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	डॉ. एस. एन धोलपुरिया, HO	9414083474
4	ग्रामीण विकास विभाग	श्री ओमकारेश्वर शर्मा, परियोजना निदेशक पदेन उप सचिव	9636327342
5	पंचायती राज विभाग	श्री इन्द्रजीत सिंह, उपायुक्त एवं शासन उप सचिव, प्रथम	9928362337
		श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियंता	9414059989
6	ऊर्जा विभाग	श्री आर के जिनवाल, ज़ोनल चीफ इंजीनियर	9413390055
7	कृषि विभाग	श्री राकेश कुमार पाटनी, संयुक्त निदेशक, कृषि	9414377837

8	वन विभाग	श्री सतीश कुमार जैन, उप वन संरक्षक (नाबार्ड)	**9414739876**
9	आयोजना विभाग	श्री सी. पी. मण्डावरिया, संयुक्त शासन सचिव	**9252448545**
10	जनजाति एवं क्षेत्रिय विकास विभाग	श्री जिनेन्द्र जैन, निदेशक (सांख्यिकी)	**9460047100**
11	खाद्य विभाग	श्री ब्रह्म लाल जाट, उपायुक्त एवं उप शासन सचिव	**9414314312**
12	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	श्री केसर लाल मीणा, अति. निदेशक	**9414000317**
13	श्रम विभाग	श्री शिवदयान सोलंकी, संयुक्त सचिव	**9571290324**
14	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	डॉ. प्रीति सिंह पंवार, सहायक शासन सचिव	**9783805921**
15	जल संसाधन विभाग	श्री राजपाल सिंह, CE (RRBA)	**7597744095**
16	महिला एवं बाल विकास विभाग	डॉ. धर्मवीर, संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग)	**7597648847**

लक्ष्य–पथ–प्रण

अन्त्योदय

सफलता की कहानी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा

24 जून से 9 जुलाई तक

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों को मिली नई पहचान

प्रदेश में पखवाड़े का व्यापक असर, लक्ष्य अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय, पथ अन्त्योदय की दिशा में राजस्थान सरकार का अभिनव प्रयास

आम जन की वर्षों पुरानी समस्याओं का त्वरित समाधान, गांव-गरीब तक पहुंचा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने का प्रमुख माध्यम बना है।

'लक्ष्य अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय, पथ अन्त्योदय' की भावना से यह पखवाड़ा मुख्यमंत्री की सोच, संवेदनशीलता और जनसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मुहिम के दौरान जयपुर, बालोतरा, जोधपुर, कोटा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, चूरू, बीकानेर, और सवाईमाधोपुर जिलों में शिविरों का दौरा कर लोगों को जागरूक किया और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया।

हजारों नामान्तरण, सीमाज्ञान, रास्ते के विवाद हल

गांवों में लंबित राजस्व संबंधी प्रकरण एक आम समस्या है। इनके निष्पादन से किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचायी जा सकती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पखवाड़े के अंतर्गत राजस्व विभाग को नियोजित किया। शिविर के दौरान 60 हजार 716 सीमाज्ञान, 1 लाख 32 हजार से अधिक नामांतरण, 26 हजार 858 सहमति विभाजन और 31 हजार 848 रास्तों से जुड़े मामलों का समाधान कर वर्षों पुराने विवाद सुलझाए गए। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त होने के साथ ही आमजन को उनके हक के कागज भी प्राप्त हुए।

लक्ष्य–पथ–प्रण

अन्त्योदय

सफलता की कहानी

निर्बाध विद्युत-जल आपूर्ति को मिली गति

गांव ढाणी से लेकर कस्बे तक पर्याप्त बिजली-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वाच्च प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में पखवाड़े के दौरान ऊर्जा विभाग ने 55 हजार 437 झूलते बिजली तारों को दुरुस्त किया। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 43 हजार 493 नए नल कनेक्शन जारी कर और 15 हजार 869 पानी की टंकियों की सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की। इस दौरान वन विभाग ने 1 करोड़ 92 लाख 17 हजार से अधिक पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को गति प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा 1 लाख 91 हजार 197 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया।

आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा का कवच हुआ और अधिक मजबूत

खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 लाख 88 हजार 279 खाद्य सुरक्षा आवेदनों को निस्तारण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1 लाख 95 हजार 270 पेंशनर्स का सत्यापन किया गया। इसके साथ ही, 8780 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए और 79 हजार 577 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 17 हजार 938 स्कूटी हेतु ई-वाउचर जारी किए गए तथा 12 हजार 50 स्कूटियों का वितरण किया गया।

नई सोच, ठोस परिणाम

जैसलमेर की खुमानसर ग्राम पंचायत में गंगाराम की खातेदारी समस्या का त्वरित समाधान हुआ। वहीं श्रीगंगानगर की रावला तहसील में 30 साल से बंद रास्ता खुलवाया गया। साथ ही धौलपुर के धनौरा गांव में 70 वर्षीय जगदीश और 85 वर्षीय पतोली का तीन दशक पुराना विवाद का निपटान हुआ। भीलवाड़ा की कोयली देवी को शिविर में खेत तक पहुंचने का रास्ता मिल सका। जन सेवा के ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, वास्तविकता में पखवाड़े के माध्यम से लाखों लोगों को राहत पहुंचाई गई है।

यह पखवाड़ा राजस्थान सरकार की 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत निरीक्षण और मार्गदर्शन ने इस अभियान को न केवल प्रभावी बनाया, बल्कि ग्रामीणों में विश्वास भी जगाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। इन शिविरों में गरीब, मजदूर, महिला, युवा सहित सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान ने अंत्योदय और सुराज संकल्प को सिद्धि की ओर बढ़ाया है। कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से छूट न जाए- ये संकल्प अब धरातल पर साकार हो रहा है।

RAJASTHAN ADMINISTRATIVE MAP

TEHSIL AND DISTRICT BOUNDARY OF RAJASTHAN

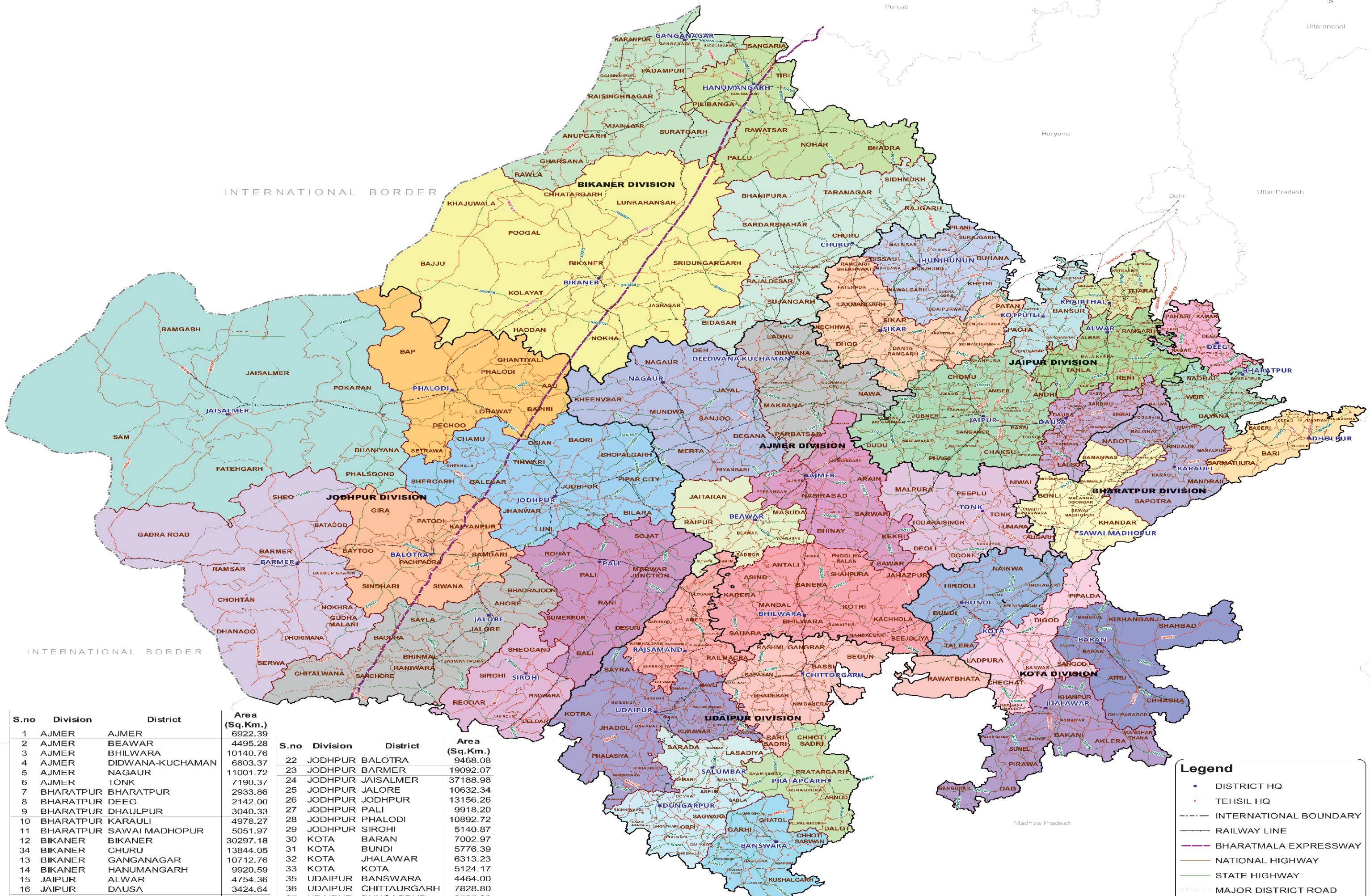

S.no	Division	District	Area (Sq.Km.)
1	AJMER	AJMER	6922.39
2	AJMER	BEAWAR	4495.28
3	AJMER	BHILWARA	10140.76
4	AJMER	DIDWANA-KUCHAMAN	6803.37
5	AJMER	NAGAUR	11001.72
6	AJMER	TONK	7190.37
7	BHARATPUR	BHARATPUR	2933.86
8	BHARATPUR	DEEG	2142.00
9	BHARATPUR	DHAULPUR	3040.33
10	BHARATPUR	KARAULI	4978.27
11	BHARATPUR	SAWAI MADHOPUR	5051.97
12	BIKANER	BIKANER	30297.18
34	BIKANER	CHURU	13844.05
13	BIKANER	GANGANAGAR	10712.76
14	BIKANER	HANUMANGARH	9920.59
15	JAIPUR	ALWAR	4754.36
16	JAIPUR	DAUSA	3424.64
17	JAIPUR	JAIPUR	9854.65
18	JAIPUR	JHUNJHUNU	5915.64
19	JAIPUR	KHAIRTHAL-TIJARA	2016.65
20	JAIPUR	KOTPUTLI-BEHROR	2896.66
21	JAIPUR	SIKAR	7726.76

S.no	Division	District	Area (Sq.Km.)
22	JODHPUR	BALOTRA	9468.08
23	JODHPUR	BARMER	19092.07
24	JODHPUR	JAISALMER	37188.98
25	JODHPUR	JALORE	10632.34
26	JODHPUR	JODHPUR	13156.26
27	JODHPUR	PALI	9918.20
28	JODHPUR	PHALODI	10892.72
29	JODHPUR	SIROHI	5140.87
30	KOTA	BARAN	7002.97
31	KOTA	BUNDI	5776.39
32	KOTA	JHALAWAR	6313.23
33	KOTA	KOTA	5124.17
35	UDAIPUR	BANSWARA	4464.00
36	UDAIPUR	CHITTAURGARH	7828.80
37	UDAIPUR	DUNGARPUR	3787.20
38	UDAIPUR	PRATAPGARH	4459.68
39	UDAIPUR	RAJSAMAND	4465.42
40	UDAIPUR	SALUMBAR	2611.31
41	UDAIPUR	UDAIPUR	9115.08